SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या–02

(निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या–02

विषय सूची

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन	--	v
कार्यकारी सारांश	--	vii
अध्याय 1: परिचय		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति	1.2	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	2
संगठनात्मक संरचना	1.5	3
अध्याय 2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों, नियमों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के बीच विसंगति	2.1	5
मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार/क्रियान्वित नहीं किया जाना	2.2	6
निष्कर्ष	2.3	7
अनुशंसाएं	2.4	7
अध्याय 3: प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों का पंजीयन		
प्रतिष्ठानों का पंजीयन	3.1	9
हितग्राहियों का पंजीयन	3.2	10
निष्कर्ष	3.3	14
अनुशंसाएं	3.4	14
अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन		
प्राप्ति एवं व्यय का अवास्तविक बजट अनुमान तैयार करना	4.1	15
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के ₹ 631.58 करोड़ का उपयोग न होना	4.2	16
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से व्यय	4.3	18

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में ₹ 1.91 करोड़ की भरपाई नहीं किया जाना तथा प्रतीक्षा केंद्रों के निर्माण पर राशि ₹ 70 लाख का निष्फल व्यय	4.4	21
उपकर का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बजाय चेक से किया जाना	4.5	22
आयकर के लिए ₹ 4.45 करोड़ का परिहार्य भुगतान	4.6	22
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वार्षिक लेखों को तैयार न करना और प्रस्तुत न करना	4.7	23
निष्कर्ष	4.8	24
अनुशंसाएं	4.9	24
अध्याय 5: संसाधन		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपकर का संग्रह	5.1	27
निष्कर्ष	5.2	30
अनुशंसाएं	5.3	30
अध्याय 6: कल्याणकारी उपायों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	6.1	31
हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम	6.2	41
निष्कर्ष	6.3	42
अनुशंसाएं	6.4	43
अध्याय 7: शासन और मानव संसाधन प्रबंधन		
राज्य सलाहकार समिति	7.1	45
मंडल की बैठकों में कमी	7.2	46
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक संविदा कर्मियों की नियुक्ति	7.3	46
निष्कर्ष	7.4	49
अनुशंसाएं	7.5	49
अध्याय 8: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निगरानी तंत्र		
प्रतिष्ठानों एवं मजदूरों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र न होना तथा सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने का निरीक्षण नहीं किया जाना	8.1	51

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम	8.2	52
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना	8.3	54
सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन नहीं किया जाना	8.4	54
निष्कर्ष	8.5	55
अनुशंसाएं	8.6	55

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	(i) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित जिलों का विवरण (ii) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण	1.2	57
3.1	वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान नमूना जांच किए गए पांच जिलों में चयनित इकाइयों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या का विवरण	3.1.1	58
3.2	मृत्यु के बाद पंजीकृत हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	61
3.3	पंचनामा के आधार पर अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	62
3.4	बिना उचित सत्यापन के किये गये पंजीयन का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.2.2	65
3.5	हितग्राहियों की जन्मतिथि में विसंगति दर्शाने वाला पत्रक	3.2.3	68
4.1	विभागीय अधिकारियों को वितरित लैपटॉप का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.3.2.3	71
4.2	निर्माणाधीन प्रतीक्षा केन्द्रों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.4	72
6.1	वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए योजनाओं में प्राप्ति, व्यय और हितग्राहियों की संख्या दर्शाने वाला पत्रक	6.1	73
6.2	अपात्र हितग्राहियों की वर्षवार संख्या दर्शाने वाला पत्रक	6.1.2	74
6.3	मृत्यु के बाद बीमित हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	6.1.4	75
6.4	हितग्राहियों के बीमा कवरेज से वंचित होने को दर्शाने वाला पत्रक	6.1.4	76

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए ''भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2021–22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 (अधिनियम), भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के नियोजन तथा सेवा–शर्तें, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करता है। नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने एवं संग्रह करने तथा उसका उपयोग पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुपालन में सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों की शासी अधिनियमों के साथ सुसंगति, प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों के पंजीयन के लिए तंत्र की प्रभावशीलता, उपकर के संग्रहण और हस्तांतरण में दक्षता, श्रम उपकर की चोरी को रोकने के लिए निरीक्षण की प्रणाली और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन तथा मंडल द्वारा कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर निधि का प्रबंधन एवं उपयोग कुशल, प्रभावी और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप था, का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों के पंजीयन की प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मंडल के पास प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों की पहचान और पंजीयन करने हेतु मजबूत तंत्र नहीं है। संबंधित विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण/भवन अनुज्ञा के लिए 29,243 प्रतिष्ठानों को कार्य आदेश जारी किए गए थे जिनमें से केवल 43 प्रतिष्ठान (0.15 प्रतिशत) ही मंडल के साथ पंजीकृत पाये गये। प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में देरी के मामले पाये गये। सक्रिय पंजीयन वाले श्रमिकों की कुल संख्या वर्ष 2019–20 में 15.37 लाख से घटकर वर्ष 2021–22 में 12.16 लाख हो गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, केवल 1.38 लाख पंजीयन नवीनीकृत किए गए जबकि 6.12 लाख पंजीयन नवीनीकरण न होने या अन्य कारणों से कालातीत हो गए।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि का उपयोग कुल उपलब्ध धनराशि के 39 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर मंडल का व्यय ₹ 192 करोड़ से घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया जबकि प्रशासनिक व्यय ₹ 18 करोड़ से बढ़कर ₹ 24 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में ₹ 631.58 करोड़ (मार्च 2022) की धनराशि एकत्रित हो गई एवं जिन उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया था, उनके लिए निधि का उपयोग नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि को केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के विपरीत अन्य गतिविधियों/उद्देश्यों पर व्यय किया गया था एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसकी भरपाई किया जाना आवश्यक था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम निर्धारित करता है कि मंडल के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक सहित प्रशासनिक व्यय मंडल के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जो कि वर्ष 2017–18 में 8.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में कुल व्यय का 25.62 प्रतिशत हो गया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं की और 233 की स्वीकृत पदों के विरुद्ध 435 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य पर रखा। इसके अतिरिक्त, सरकारी विभागों और स्थानीय सरकार संस्थानों में संग्रहण/निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण न करने के कारण ₹ 2.82 करोड़ के उपकर की कटौती नहीं की गई और

₹ 3.38 करोड़ के उपकर का हस्तांतरण नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग एवं रायपुर नगर निगम द्वारा मंडल को ₹ 8.09 करोड़ के उपकर के हस्तांतरण में एक माह से लेकर 120 माह तक की देरी हुई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में कल्याणकारी योजनाओं के अकुशल क्रियान्वयन के मामले सामने आये जैसे अपात्र हितग्राहियों को लाभ का वितरण, योजना के लाभ के लिए पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को निरस्त करना, हितग्राहियों को सहायता के वितरण में विलम्ब। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की मृत्यु के बाद पंजीकरण और बीमा किए जाने, दूरस्थ क्षेत्रों में पंजीकरण शिविरों का आयोजन न करने, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में देरी के मामले भी सामने आये।

राज्य स्तर पर अपर्याप्त निगरानी के कारण राज्य सलाहकार समिति द्वारा अपनी पिछली बैठक (दिसंबर 2017) के दौरान की गई अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया था। दिसंबर 2017 से राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ था। मंडल की बैठक आयोजित करने में कमी रह गयी थी। निर्माण कार्य/स्थल की निगरानी के लिए निरीक्षण और वैकल्पिक तंत्र की कमी के कारण श्रम विभाग नियोक्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अनुशंसाएं

- राज्य सरकार को मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मातृत्व लाभ, पारगमन आवास और मोबाइल क्रेच के लिए योजनाएं बनानी तथा लागू करनी चाहिए।
- श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उपकर कटौती/संग्रह करने वाले प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण गतिविधि में संलग्न प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं श्रमिक को पंजीकृत करने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए श्रम विभाग को चावड़ी एवं निर्माण स्थल पर शिविर आयोजित करने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को तंत्र में पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के दावों/पंजीयन के लिए आवेदन की जांच हेतु एक समान प्रणाली तैयार करनी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को उपकर के समय पर संग्रहण और हस्तांतरण के लिए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए क्योंकि इसकी देरी से मण्डल को ब्याज की हानि होती है।
- उपकर का संग्रह न करने, संग्रह में देरी और हस्तांतरण न करने के लिए जुर्माना लगाने का उपयुक्त प्रावधान मौजूदा नियमों में किया जाना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ/सहायता पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार को निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और मृत्यु एवं विकलांगता के मामलों में मण्डल को स्वतः पहल करनी चाहिए

और आवेदन की आवश्यकता के बिना उचित सत्यापन के बाद लाभ देना चाहिए।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को दूरदराज के क्षेत्रों में भी श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के मामले में जिला श्रम प्राधिकारियों (श्रम उप निरीक्षक/निरीक्षक, श्रम अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त) की जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है और विभाग को पिछली राज्य सलाहकार समिति की अनुशंसाओं को लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- मण्डल को स्वीकृत संख्या के विरुद्ध नियमित कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए कि नियोक्ताओं द्वारा निर्माण स्थलों पर निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।
- मौजूदा प्रावधानों के बेहतर और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

अध्याय–1

परिचय

अध्याय 1: परिचय

1.1 परिचय

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम[1], 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। जबकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, उपकर अधिनियम का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नियोक्ता द्वारा किया गया निर्माण लागत पर उपकर लगाने और संग्रहण करने का प्रावधान करना था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 40 और धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008 बनाया (मई 2008)। एकत्रित उपकर से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया था।

वर्ष 2017–22 के दौरान कुल 11.21 लाख श्रमिकों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के साथ अपना पंजीयन कराया था एवं मार्च 2022 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास ₹ 631.58 करोड़ का कल्याण कोष उपलब्ध था।

1.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

''भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण'' का यह निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के मध्य वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की पांच वर्षों की अवधि को शामिल करते हुए संपादित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान राज्य और जिला स्तर पर श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्यालय में अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, संबंधित निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा उपकर के संग्रहण/कटौती में शामिल स्थानीय प्राधिकारियों को भी लेखापरीक्षा में कवर किया गया था।

कुल पांच जिलों[2] (दो कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ की अधिकतम राशि के आधार पर तथा तीन उपकर निधि में अधिकतम योगदान के आधार पर) का चयन किया गया था।

स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर नीचे उल्लिखित 10 कल्याणकारी योजनाओं के चयन के लिए श्रम विभाग से डेटा (वर्ष 2017–2022) प्राप्त किया गया था:

- अधिकतम वित्तीय सहायता वाली पाँच योजनाएं।
- मध्यम मात्रा में वित्तीय सहायता वाली तीन योजनाएं।

---

[1] भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ''व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति (ओएसएच) कोड, 2020'' के खंड 143 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है।

[2] बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, रायगढ़ एवं रायपुर।

- शून्य हितग्राही वाली दो योजनाएं।

इसके अतिरिक्त, प्रति जिला 100 हितग्राही (प्रत्येक चयनित योजना से 10) सर्वेक्षण हेतु चयनित किये गये थे। जिलों एवं योजनाओं के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति **परिशिष्ट–1.1** में दी गई है।

सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के साथ आगम एवं निर्गम बैठकें क्रमशः 11 जनवरी 2023 एवं 18 जनवरी 2024 को आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को जारी (जुलाई 2023) की गई थी और राज्य सरकार से प्राप्त (अप्रैल 2024) उत्तरों/टिप्पणियों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या

1. अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम दोनों अधिनियमों के उद्देश्य के अनुरूप हैं;
2. प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों के पंजीकरण हेतु प्रभावी व्यवस्था थी;
3. उपकर निर्धारण, संग्रहण और कल्याण कोष में एकत्रित उपकर का हस्तांतरण कुशल था एवं कल्याण मंडल में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रभावी थी;
4. शासन द्वारा उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों का निर्धारण किया गया है तथा नियोक्ताओं द्वारा उन मानदंडों के अनुपालन का वातावरण सुनिश्चित किया गया;
5. शासन ने नियोक्ताओं द्वारा श्रम उपकर की चोरी और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए निरीक्षण की पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली लागू की;
6. मंडल द्वारा कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर निधि का प्रबंधन एवं उपयोग कुशल और प्रभावी था और राज्य शासन द्वारा बनाए गए अधिनियम एवं नियमों के अनुसार था;

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

मानदंड जिसके विरुद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मानकीकृत किया गया है वे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैः

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996;

(ii) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008;

(iii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उपकर नियम, 1998;

(iv) राज्य वित्तीय नियम;

(v) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पारित संकल्प;

(vi) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षण नीति और

(vii) आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961

1.5 संगठनात्मक संरचना

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का नेतृत्व सचिव करते हैं और उसके बाद श्रम आयुक्त और सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल होते हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अलावा, श्रम कल्याण मंडल (निर्माण श्रम को छोड़कर), असंगठित श्रम के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और औद्योगिक विवाद न्यायालय भी श्रम विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में राज्य शासन द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, सचिव श्रम विभाग, मुख्य निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक (कारखाना) पदेन सदस्यों के रूप में, एक सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित और 11 सदस्य राज्य शासन द्वारा नामित होते हैं, जिसमें श्रम विभाग और वित्त विभाग प्रत्येक से एक सदस्य शामिल होता है और शेष दो निर्माण विभाग से और पांच भवन निर्माण श्रमिकों और भवन निर्माण श्रमिकों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और दो राज्य विधायिका से होते हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 में उल्लिखित अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

श्रम विभाग के अंतर्गत, सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी उपकर के संग्रहण, उपकर के निर्धारण, हितग्राहियों के पंजीकरण, स्थापना और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संगठनात्मक संरचना को **चार्ट 1.1** में ऑर्गेनोग्राम में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: संगठनात्मक संरचना

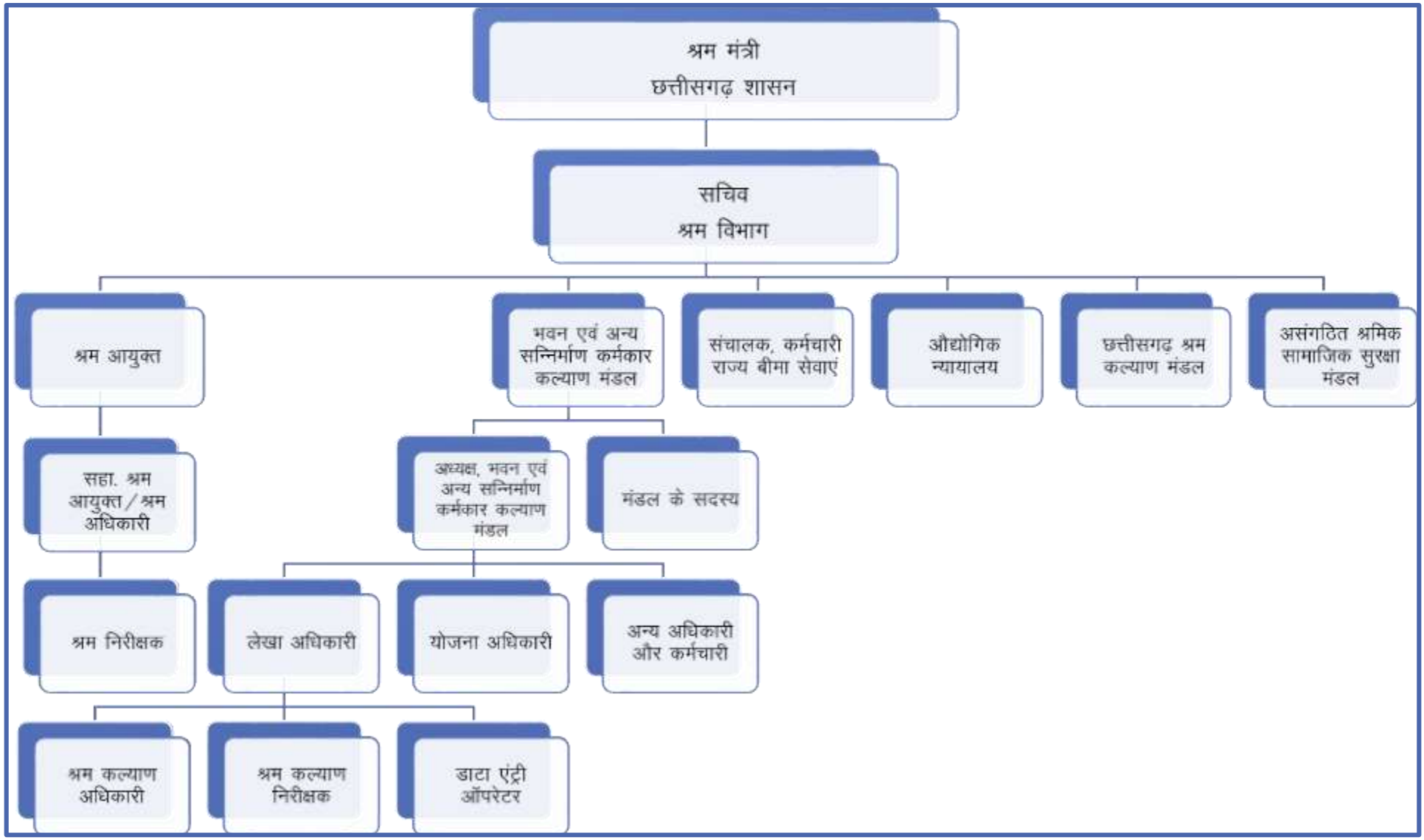

अध्याय–2

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय 2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन

2.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियमों, नियमों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के बीच विसंगति

2.1.1 निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की अवधि में विसंगति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 12 उप–खंड–1 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो पिछले बारह महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों के लिए किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा हुआ है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि (1) एक भवन निर्माण श्रमिक जो इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीकृत है, जब वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन या अन्य निर्माण कार्य में संलग्न नहीं होता है तो वह हितग्राही के रूप में पंजीकृत नहीं रहेगा। (2) उप–धारा (1) में किसी बात के निहित होने पर भी, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक लगातार हितग्राही रहा है तो वह निर्धारित लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 272 (2) में यह निर्धारित किया गया है कि पंजीयन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को नकद या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय पच्चीस रुपये का शुल्क संलग्न करना होगा। राज्य शासन ने पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क को संशोधित (जुलाई 2012) कर तीन वर्षों के लिए पच्चीस रुपये से एक रुपया कर दिया। राज्य सरकार ने अंतिम बार जून 2013 में नियमों को संशोधित कर पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क की अवधि को तीन वर्ष के लिए एक रुपये से बढ़ाकर पांच वर्ष के लिए एक रुपया कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (जून 2013) के अनुसार, पंजीयन/नवीनीकरण के समय, श्रमिक द्वारा पंजीयन शुल्क और अंशदान पांच वर्ष की अवधि के लिए जमा किया जाना था। पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए पिछले 12 महीनों में 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र भी अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण श्रमिको को प्रारंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, पाँच वर्ष की अवधि के लिए श्रमिकों के पंजीयन के कारण अधिनियम में निर्धारित प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न होने की शर्त का पालन प्रारंभिक वर्ष को छोड़कर नहीं किया जा सका, जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि श्रम विभाग द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पंजीकृत दर्शाया गया श्रमिक वास्तव में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 90 दिनों के लिए निर्माण कार्य में संलग्न था या नहीं।

राज्य शासन ने कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया था (अप्रैल 2024)।

2.2 मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार/क्रियान्वित नहीं किया जाना

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक (श्रम कल्याण) ने निर्माण श्रमिकों को मॉडल कल्याण योजना के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जुलाई 2018) के अनुसार मॉडल कल्याण योजनाएं तैयार की हैं। आगे, यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा लाभ को अन्य सभी मौजूदा लाभों पर प्राथमिकता दी जाएगी और इन प्राथमिकता वाले खर्चों को पूरा करने के बाद निधि के शेष भाग का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने के लिए किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा मॉडल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

- **जीवन और विकलांगता कवर–** मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को आश्रितों को आकस्मिक मृत्यु के मामले में न्यूनतम चार लाख रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि प्रदान करना चाहिए। दुर्घटना/मृत्यु के 60 दिनों के भीतर सहायता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने हालांकि पाया कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत आश्रितों को आकस्मिक/प्राकृतिक मृत्यु पर केवल एक लाख रुपये और स्थायी विकलांगता के मामले में 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राज्य में निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई (अक्टूबर 2015)। योजना के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया गया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान 61,103 श्रमिकों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। हालांकि, यह योजना दिसंबर 2022 से बंद कर दी गई थी।

- **आवास–** मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को पारगमन आवास, मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रेच प्रदान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि मॉडल कल्याण योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसी कोई योजना तैयार और कार्यान्वित नहीं की गई थी।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने उत्तर में बताया (मई 2023) कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के आवास के निर्माण के लिए ₹ 50,000 तक ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार श्रमिकों के लिए पारगमन आवास, मोबाइल शौचालय और क्रेच की योजना अभी तक तैयार और कार्यान्वित नहीं की गई थी।

- **मातृत्व सहायता–** मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों और पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिकों की पत्नी को मातृत्व लाभ प्रदान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिनीमाता महतारी जतन योजना (पहले भगिनी प्रसूति योजना) के अंतर्गत केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों को अधिकतम दो बच्चों के लिए ₹ 10,000 प्रति

बच्चा की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी जबकि पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मॉडल कल्याण योजना के अंतर्गत आवश्यक सवैतनिक मातृत्व अवकाश के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं था।

- **पेंशन–** मॉडल कल्याण योजना के अनुसार, राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन प्रदान करनी चाहिए। इस संबंध में राज्य कल्याण मंडल को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए कि एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार 10 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ में अटल पेंशन योजना जून 2015 से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रशासित थी। हालांकि, वर्ष 2017–18 के दौरान सूरजपुर में 130 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया था। इस योजना को बाद में नवंबर 2022 से बंद[1] कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 277 के अंतर्गत आवश्यक पेंशन/पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पर पेंशन सहायता के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, की धारा 22, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल कल्याण योजना के अनुसार निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए छात्रवृत्ति, आवास, पेंशन, मातृत्व, मृत्यु एवं विकलांगता, दुर्घटना चिकित्सा सहायता तथा कौशल विकास जैसी विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं।

शासन का उत्तर (अप्रैल 2024) स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना अगस्त 2023 में लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त, मॉडल कल्याण योजना के अनुसार जीवन और विकलांगता कवर तथा मातृत्व सहायता की योजना भी तैयार नहीं की गई थी।

2.3 निष्कर्ष

प्रारंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के कारण पंजीयन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक के रूप में संलग्न होने की शर्त का पालन नहीं किया गया था। श्रम विभाग और मंडल ने पेंशन योजना तैयार करने और लागू करने में देरी की जबकि मॉडल कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन में श्रमिकों के लिए पारगमन आवास, मोबाइल शौचालय, मोबाइल क्रेच और सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अन्य योजनाएं लागू की जानी शेष थी।

2.4 अनुशंसाएं

- राज्य सरकार को मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मातृत्व लाभ, पारगमन आवास और मोबाइल क्रेच के लिए योजनाएं बनानी तथा लागू करनी चाहिए।

[1] अधिसूचना क्र.–60/01/04/योजना/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार/2022/123 दिनांक 07.11.2022

अध्याय–3

प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों का पंजीयन

अध्याय 3: प्रतिष्ठानों एवं हितग्राहियों का पंजीयन

3.1 प्रतिष्ठानों का पंजीयन

3.1.1 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के लिए तंत्र का अभाव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 7 में कहा गया है कि निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को काम शुरू होने के 60 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना (जनवरी 2014) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी विभाग ठेकेदारों को कार्य आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी विभाग के निर्माण का कार्य करने वाला प्रत्येक नियोक्ता (सरकारी विभाग)/ठेकेदार, एक नियोक्ता के रूप में, श्रम विभाग या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के साथ पंजीकृत हैं एवं ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य एक प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत है। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य में संलग्न प्रत्येक नियोक्ता/ठेकेदार, भवन अनुज्ञा के अनुमोदन से पहले श्रम विभाग द्वारा जारी नियोक्ता के रूप में पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2,830 प्रतिष्ठान पंजीकृत थे जिनमें से 426 प्रतिष्ठान चयनित पांच जिलों में पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा के दौरान, निर्माण विभाग के 32 संभागों, पांच स्थानीय सरकार संस्थानों एवं पांच नगर तथा ग्राम निवेश इकाइयों की नमूना जांच की गई। यह देखा गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान निर्माण विभाग के संभागों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठेकेदारों को निर्माण के लिए क्रमशः 7,859 एवं 4,544 कार्य आदेश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः 14,302 एवं 2,538 भवन अनुज्ञा अनुमोदित की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 29,243 प्रतिष्ठानों में से केवल 43 प्रतिष्ठान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पाए गए तथा शेष 29,200 प्रतिष्ठान जिनके लिए संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा कार्य आदेश/भवन अनुज्ञा जारी की गई थी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत नहीं पाए गए।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नियोक्ताओं/उपकर संग्रहण/कटौती करने वाले प्राधिकारियों से चेक/डीडी के रूप में या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपकर आय प्राप्त करता है जबकि पंजीयन शुल्क की प्राप्तियां श्रम विभाग को जाती हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रम विभाग/भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में उन प्रतिष्ठानों को खोजने का कोई तंत्र नहीं था जो श्रम उपकर का भुगतान करते थे लेकिन प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत नहीं थे। श्रम विभाग, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम उपकर एकत्र करने वाले अन्य विभागों/स्थानीय सरकार संस्थानों के बीच तालमेल की कमी के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं हो सका। भारत सरकार के निर्देशों (मई 2018) के अनुसार, श्रम विभाग को जीआईएस प्रौद्योगिकी/मैपिंग के माध्यम से निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता थी, हालांकि, विभाग द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निर्माण गतिविधियों की निगरानी नहीं हो पा रही है।

प्रतिष्ठानों का पंजीयन नहीं होने से श्रम विभाग को ₹ 100 प्रति प्रतिष्ठान की न्यूनतम दर पर की गई गणना अनुसार ₹ 29.20[1] लाख के पंजीयन शुल्क की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट–3.1** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठानों के पंजीयन न होने के कारण उनमें लगे निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित श्रमिक कल्याण योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि राज्य में प्रतिष्ठानों के पंजीयन के लिए सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी/श्रम विभाग के उप/सहायक संचालक को पंजीयन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में श्रम विभाग एवं विभिन्न निर्माण विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों से संबंधित जीआईएस मैपिंग के अनुमोदन का प्रस्ताव 07 मार्च 2024 को आयोजित मंडल की बैठक में रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य में भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे सभी प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को पंजीकृत करने में विफल रहे।

3.1.2 प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 24 में कहा गया है कि पंजीयन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र–II में नियोक्ता को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, श्रम विभाग ने 2,325 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जिन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 745 प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब हुआ। कुल 388 मामलों में 5 से 30 दिनों की, 199 मामलों में 31 से 90 दिनों की एवं 158 मामलों में 90 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

शासन ने पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में देरी का उल्लेख किए बिना उत्तर दिया (अप्रैल 2024)।

3.2 हितग्राहियों का पंजीयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल 18 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे निर्माण श्रमिकों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करता है जो श्रम विभाग की वेबसाइट *www.cglabour.nic.in* या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नियोक्ता/नामित अधिकारियों से 90 दिनों के रोजगार प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र हैं। श्रम निरीक्षक, श्रम उपनिरीक्षक, निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं नगर निगम के सहायक/कनिष्ठ अभियंता को पंजीयन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। राज्य शासन के आदेश (जून 2013) के अनुसार निर्माण श्रमिक का प्रारंभिक पंजीयन पांच वर्ष के लिए किया जाता था।

---

[1] छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के नियम 27 के अनुसार पंजीयन शुल्क की न्यूनतम राशि ₹ 100 है। इसलिए, पंजीयन शुल्क की न्यूनतम हानि 29,200 प्रतिष्ठान x ₹ 100 = ₹ 29.20 लाख है।

3.2.1 हितग्राहियों के पंजीयन में गिरावट की प्रवृत्ति और नवीनीकरण का पालन न करने के कारण 6.13 लाख निष्क्रिय पंजीयन वाले श्रमिकों का लाभ से वंचित होना

जैसा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के खंड–12 (उप–खंड 1) में परिकल्पना की गई है, प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में पूर्ववर्ती 12 महीनों में कम से कम 90 दिन की अवधि के लिए कार्यरत हो, इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पांच वर्ष के लिए पंजीकृत होने के पात्र होंगे। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति को **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान निर्माण श्रमिकों की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	पंजीयन की संख्या (1 अप्रैल की स्थिति में)	वर्ष के दौरान पंजीयन	वर्ष के दौरान नवीनीकरण	वर्ष के दौरान कालातीत/निष्क्रिय	31 मार्च की स्थिति में सक्रिय पंजीयन की संख्या
2017–18	5,70,132	3,65,575	16,502	24,012	9,28,197
2018–19	9,28,197	5,01,330	70,282	37,541	14,62,268
2019–20	14,62,268	87,670	15,918	28,638	15,37,218
2020–21	15,37,218	1,14,815	8,146	1,40,406	15,19,773
2021–22	15,19,773	51,521	27,164	3,81,907	12,16,551
योग		**11,20,911**	**1,38,012**	**6,12,504**	

(स्रोतः भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त जानकारी)

चार्ट 3.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण एवं निष्क्रिय पंजीयन की प्रवृत्ति

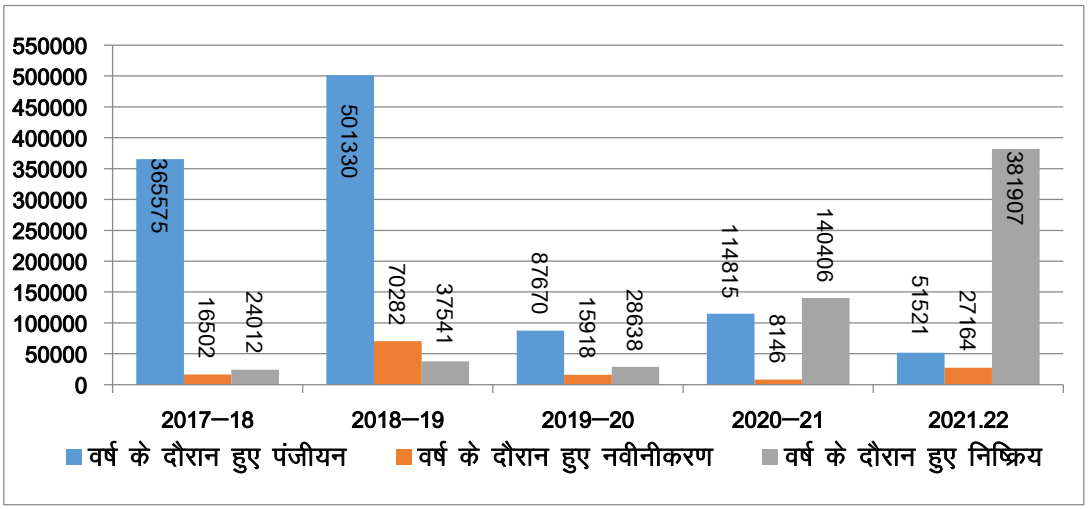

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, 11.21 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया था जबकि 6.13 लाख पंजीयन या तो कालातीत हो गए थे या पंजीयन के नवीनीकरण न होने या मृत्यु/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण निष्क्रिय

थे। वर्ष 2020–21 से 2021–22 में सक्रिय पंजीयन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। सक्रिय पंजीयन वाले श्रमिक वर्ष 2020–21 में 15.20 लाख से घटकर वर्ष 2021–22 में 12.16 लाख (20 प्रतिशत) हो गये। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान कालातीत पंजीयन की संख्या नवीनीकृत पंजीयन से अधिक थी। वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान नए पंजीयन में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा वर्ष 2021–22 में यह सबसे कम थी जो पंजीयन/नवीनीकरण और संबंधित श्रमिकों को कल्याण योजनाओं के दायरे में लाने के लिए विभाग/मंडल द्वारा निरंतर प्रयास की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के प्रदर्शन में गिरावट आई है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा पंजीयन के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कई पहल जैसे प्रथम बार पंचवर्षीय पंजीयन, श्रमिकों को समूह एसएमएस, वार्ड एवं जनपद (खण्ड) कार्यालयों में विशेष पंजीयन/नवीनीकरण शिविर और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन शुरू की है। नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और 6.13 लाख लंबित पंजीयन में से 3.72 लाख पंजीयन का नवीनीकरण किया जा चुका है।

3.2.2 मृत्यु दावों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने में पारदर्शिता का अभाव

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों से संबंधित आवेदनों की जांच करने पर ऐसे मामले सामने आये जहां मजदूरों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मृत्यु की तारीख के बाद पंजीकृत किया गया।

मृत्यु के बाद पंजीकृत हितग्राही: चयनित जिलों के मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए अनुमोदित आवेदनों के डेटाबेस की जांच करने पर यह देखा गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत 13 ऐसे आवेदनों के विरूद्ध वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया था जहां श्रमिकों को उनकी मृत्यु की तारीख के बाद पंजीकृत किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–3.2** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम विभाग ने पंजीयन एवं अपात्र हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत लाभ देने के समय उचित परिश्रम नहीं किया।

आवेदनों का निरस्तीकरण: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के खंड 12(4) के अनुसार, यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक ने इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत भवन निर्माण श्रमिक का नाम हितग्राही के रूप में पंजीकृत करेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सहायता जारी करने से पहले किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर हितग्राहियों के 39 आवेदन निरस्त कर दिए। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट 3.3** और **3.4** में दर्शाया गया है। कुछ मामले **बॉक्स 3.1** में दर्शाए गए है।

बॉक्स 3.1: भौतिक सत्यापन के आधार पर निरस्त आवेदन दर्शाने वाले मामले

केस–1 : श्री अशोक कुमार राठौड़, पंजीयन संख्या–417953347– श्री राठौड़ का पंजीयन 12 मार्च 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मृत्यु की तारीख 4 अगस्त 2021 थी।

केस–2 : श्री दिनेश कुमार, पंजीयन संख्या–413484742– श्री दिनेश कुमार का पंजीयन 7 जुलाई 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु 21 जुलाई 2021 को हुई।

केस–3 : श्री नील कुमार पांडे, पंजीयन संख्या– 413672087– श्री नील कुमार पांडे का पंजीयन 23 मार्च 2021 को होना पाया गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 2021 को हुई।

पंद्रह मामलों में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा आवेदनों को सरपंच/ग्रामीणों से मौखिक पूछताछ या पंचनामे के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिनमें पंजीयन की तारीख से पहले मृत्यु की तारीख बताई गई थी। चूंकि पंजीकृत श्रमिक योजना लाभ के पात्र थे इसलिए श्रम निरीक्षक द्वारा पंचनामा या मौखिक पूछताछ के आधार पर आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही उचित नहीं थी।

चौबीस मामलों में यह देखा गया है कि पंजीकृत हितग्राहियों के दावों को क्षेत्र दौरे के दौरान श्रम विभाग के निरीक्षक द्वारा की गई मौखिक पूछताछ/पंचनामा के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिनमें कहा गया कि मृत श्रमिक या तो लकवाग्रस्त/विकलांग थे या निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे। यह इंगित करता है कि श्रम विभाग द्वारा पंजीयन के समय आवेदन के प्रसंस्करण में उचित परिश्रम नहीं किया गया था। पंजीयन की शेष अवधि के लिए कामकाजी स्थिति की जांच करने हेतु किसी तंत्र के बिना पिछले वर्ष में 90 दिनों के कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर श्रमिकों को शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया था।

श्रमिकों के पंजीयन और आवेदन/दावों के प्रसंस्करण में अनियमितताओं ने मृतकों के नामित व्यक्तियों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया तथा यह श्रमिक को सहायता/लाभ प्रदान करने के विभागीय तंत्र के भीतर कमियों को इंगित करता है।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि भौतिक सत्यापन केवल ऐसे मामलों में किया गया था जिनमें दस्तावेज़ या तो अधूरे थे या उपलब्ध नहीं थे। आगे कहा गया है कि पंजीयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए पंजीयन के समय हितग्राहियों की लाइव फोटो जैसे आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कुल 13 मामलों में से दो मामलों में वसूली की जा चुकी है और शेष 11 मामलों में वसूली प्रक्रियाधीन हैं।

3.2.3 हितग्राही के पहचान/पंजीयन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रदर्शित निर्माण श्रमिकों की जन्मतिथि में विसंगति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के खंड 14(1) के अनुसार, एक भवन निर्माण श्रमिक जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीकृत किया गया है, जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह भवन या अन्य निर्माण कार्यों में वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न नहीं है तो हितग्राही के रूप में पंजीयन समाप्त हो जाएगा।

बिलासपुर और जांजगीर–चांपा जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 40 मामलों में (जैसा कि **परिशिष्ट–3.5** में दर्शाया गया है) आधार कार्ड में उल्लिखित हितग्राहियों की जन्म तिथि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी हितग्राहियों के पंजीयन/पहचान पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से मेल नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त, जांच में पता चला कि 16 मामलों में, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देने वाली हितग्राहियों की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार आयु से अधिक थी और अंतर 1 माह से लेकर 19 वर्ष और 6 माह तक थी। यह भी पता चला कि शेष 24 मामलों में, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देने वाली हितग्राहियों की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार आयु से कम थी और अंतर 6 माह से 6 वर्ष तक थी।

ऑनलाइन पोर्टल में उल्लिखित आयु एवं आधार कार्ड में प्रदर्शित आयु में अंतर के परिणामस्वरूप आयु प्रतिबंध के कारण हितग्राहियों का विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन समाप्त हो सकता है एवं आवेदन निरस्त हो सकता है अथवा वास्तविक आयु 60 वर्ष के बाद भी योजना के अंतर्गत लाभ को लंबे समय तक लिया जा सकता है।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि पूर्व में आधार कार्ड की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी एवं अन्य अभिलेख के आधार पर जन्म तिथि पंजीयन पत्र में दर्ज की गई थी, इसलिए जन्म तिथि में अंतर था। आगे कहा गया है कि आधार कार्ड और पहचान पत्र के अनुसार जन्मतिथि में अंतर को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंडल ने आधार कार्ड की उपलब्धता के बावजूद श्रमिकों के पंजीयन डेटा में दर्ज जन्मतिथि को अद्यतन करने का कोई प्रयास नहीं किया।

3.3 निष्कर्ष

श्रम विभाग, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं श्रम उपकर संग्रह/कटौती करने वाले अन्य विभागों/स्थानीय शासन के बीच तालमेल की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में लगे सभी प्रतिष्ठान और श्रमिक, श्रम विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे। वर्ष 2018–19 से 2021–2022 की अवधि के दौरान नए पंजीयन की संख्या में गिरावट एवं कालातीत पंजीयन की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति यह इंगित करता है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए विभाग/मंडल द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मृत्यु के बाद पंजीयन एवं मृत्यु दावे के आवेदनों को निरस्त करने की घटना, पंजीयन एवं श्रमिक को सहायता/लाभ प्रदान करने के विभागीय तंत्र के भीतर पारदर्शिता की कमी को इंगित करता है।

3.4 अनुशंसाएं

- श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उपकर कटौती/संग्रह करने वाले प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण गतिविधि में संलग्न प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं श्रमिक को पंजीकृत करने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए श्रम विभाग को चावड़ी एवं निर्माण स्थल पर शिविर आयोजित करने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को तंत्र में पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के दावों/पंजीयन के लिए आवेदन की जांच हेतु एक समान प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

अध्याय–4

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन

4.1 प्राप्ति एवं व्यय का अवास्तविक बजट अनुमान तैयार करना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 25 में कहा गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया गया है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जाएगा तथा इसे राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

बजट अनुमानों की जांच से वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान तैयार किए गए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वार्षिक बजट में उपकर संग्रह का लगातार कम अनुमान और योजना व्यय के आंकड़ों का अधिक अनुमान सामने आया। वर्ष 2017–22 के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एकत्र किए गए उपकर का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: उपकर प्राप्ति तथा योजना व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपकर संग्रहण		आधिक्य (+)/ कमी (–) (प्रतिशत)	योजनाओं पर कुल व्यय		आधिक्य (+)/ कमी (–) (प्रतिशत)
	अनुमान	वास्तविक		अनुमान	वास्तविक	
2017–18	150.00	178.39	28.39 (18.93)	251.35	191.69	(–)59.66 (23.74)
2018–19	150.00	199.71	49.71 (33.14)	342.51	185.94	(–)156.57 (45.71)
2019–20	160.00	163.62	3.62 (2.26)	327.65	112.63	(–)215.02 (65.62)
2020–21	176.00	172.34	(–)3.66 (2.07)	303.65	83.46	(–)220.19 (72.51)
2021–22	176.00	191.07	15.07 (8.56)	368.35	88.43	(–)279.92 (75.99)

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

वर्ष 2020–21 को छोड़कर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एकत्र की गई उपकर प्राप्तियां वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान बजट में अनुमानित प्राप्तियों से अधिक थी। योजनाओं पर वास्तविक व्यय वर्ष 2017–18 में ₹ 191.69 करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 में ₹ 88.43 करोड़ हो गया, जबकि बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 251.35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 368.35 करोड़ हो गया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल वर्ष 2019–22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजटीय धनराशि का 66 से 76 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सका।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि वर्ष 2024–25 के लिए बजट पिछले वर्ष के राजस्व के रुझान के अनुसार तैयार किया गया है, शासन ने आगे बताया कि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान योजनाओं पर खर्च में कोविड के कारण कमी आई है। हालांकि, बाद के वर्षों में खर्च में तदनुसार वृद्धि की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रम विभाग और मंडल को महामारी के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों/पलायन के कारण निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता थी।

4.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के ₹ 631.58 करोड़ का उपयोग न होना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 24 के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एक कोष का गठन किया जाएगा जिसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष कहा जाएगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का कोष हितग्राहियों द्वारा किए गए अंशदान, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्राप्त उपकर की राशि तथा बैंक खातों में निधियों पर संचित ब्याज से गठित किया गया है। इस प्रकार गठित कोष का उपयोग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्यों के निर्वहन में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना है। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय एक वर्ष में कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 यह भी निर्धारित करता है कि शेष निधि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की प्राप्तियों और व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की प्राप्तियां और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां		कुल उपलब्ध निधि	मंडल के कुल व्यय		निधि का अंतिम शेष
		मंडल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	ब्याज / पंजीयन शुल्क और अन्य प्राप्तियां		योजना पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	
2017–18	288.15	178.39	21.68	488.23	191.69	6.41	290.13
2018–19	290.13	199.71	20.94	510.77	185.94	7.63	317.20
2019–20	317.20	163.62	31.74	512.56	112.63	2.46	397.47
2020–21	397.47	172.34	32.12	601.93	83.46	3.04	515.43
2021–22	515.43	191.07	17.33	723.83	88.43	3.82	631.58
योग		**905.13**	**123.81**		**662.15**	**23.36**	

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञापन, सम्मेलन, कार्यशालाएं, बैठकें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे, मोबाइल कैम्प और योजना क्रियान्वयन व्यय आदि जैसे व्यय को आंशिक रूप से प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत और आंशिक रूप से योजना व्यय में दर्ज किया गया था ताकि प्रशासनिक व्यय को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जा सके। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की कुल प्राप्तियां, कुल व्यय और बचत का विवरण **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2017–22 के दौरान कुल प्राप्तियों, कुल व्यय और बचत का विवरण

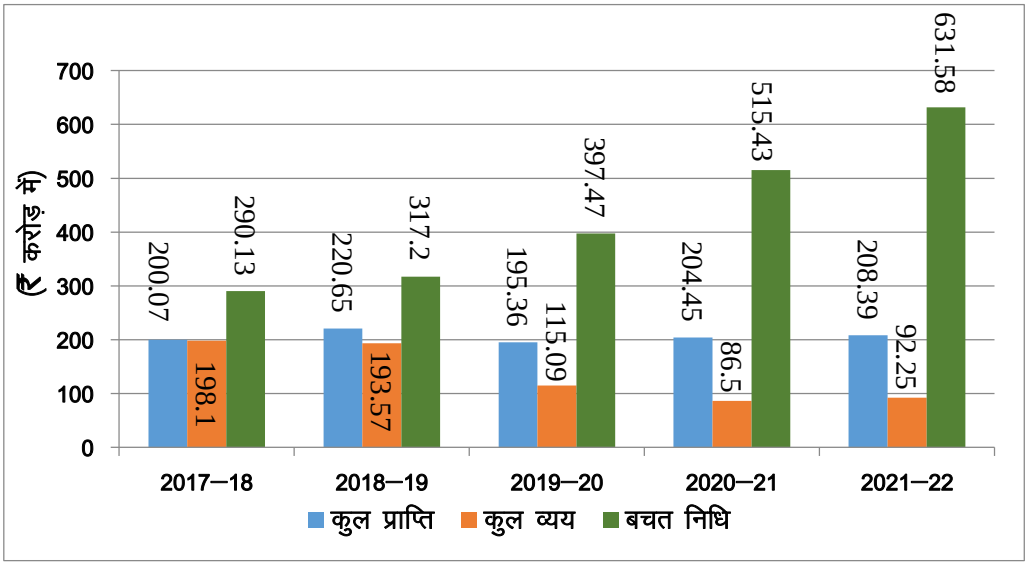

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपकर संग्रह लगभग स्थिर रहा जबकि कल्याण कोष से व्यय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में कम हो गया है और वर्ष 2021–22 में मामूली वृद्धि हुई। यह इंगित करता है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान सभी प्रतिष्ठानों और निर्माण श्रमिकों को अपने दायरे में लाने में विफल रहा है। उपलब्ध निधि से योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: उपलब्ध निधि से योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि	क्रियान्वित योजनाएं		योजनाओं पर व्यय	उपयोग किये गए निधि का प्रतिशत	
		संख्या	निधि का आवंटन		आवंटित निधि	उपलब्ध निधि
2017–18	488.23	27	251.35	191.69	76.26	39.26
2018–19	510.77	29	342.51	185.94	54.29	36.40
2019–20	512.56	29	327.65	112.63	34.38	21.97
2020–21	601.93	29	303.65	83.46	27.49	13.86
2021–22	723.83	33	368.35	88.43	24.01	12.22
योग	**2,837.32**		**1,630.11**	**662.15**		

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि योजनाओं के लिए धन का आवंटन वर्ष 2017–18 में ₹ 251.35 करोड़ से 46.55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 368.35 करोड़ हो गया, इसी अवधि के दौरान आवंटन के विरुद्ध निधि का उपयोग 76.26 प्रतिशत से घटकर 24.01 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि वर्ष 2008–09 में शून्य शेष से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹ 631.58 करोड़ हो गई।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि पिछले कुछ वर्षों में उपकरण उन्मुख योजनाओं की स्वीकृति न मिलने और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों के

कारण बचत हुई थी। शासन ने आगे बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण वर्ष 2020–21 और 2021–22 के व्यय में कमी आई है। हालांकि, बाद के वर्षों में व्यय में तदनुसार वृद्धि की गई है।

महामारी के दौरान कम व्यय के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग/मंडल को महामारी के दौरान अधिक कल्याणकारी गतिविधियाँ शुरू करने और श्रमिकों के कल्याण पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता थी। लंबित आवेदन के संबंध में उत्तर इंगित करता है कि मंडल/विभाग द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा था जिसके कारण निधि की बचत हुई और आवेदन लंबित रहे।

4.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से व्यय

4.3.1 ₹ 68.80 करोड़ का अस्वीकार्य प्रशासनिक व्यय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 24 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष नामक एक कोष के गठन का प्रावधान है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की उपधारा 24(3) में कहा गया है कि मंडल के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक सहित प्रशासनिक खर्च उस वर्ष मंडल के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अभिलेखो की जांच से पता चला कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कुल ₹ 104.71 करोड़ का प्रशासनिक व्यय किया, हालांकि, इसने वर्ष 2017–22 के दौरान प्रशासनिक व्यय के रूप में केवल ₹ 23.36 करोड़ दिखाया था जैसा कि **तालिका–4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान प्रशासनिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अनुसार प्रशासनिक व्यय	लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी प्रशासनिक व्यय	अनुमत प्रशासनिक व्यय (कुल व्यय का पाँच प्रतिशत)	आधिक्य प्रशासनिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2) का 5%]	(6) = (4–5)
2017–18	209.10[1]	6.41	17.74(8.48%)	10.46	7.28
2018–19	193.57	7.63	26.59(13.73%)	9.68	16.91
2019–20	115.09	2.46	18.52(16.09%)	5.75	12.77
2020–21	108.10[2]	3.04	18.23(16.86%)	5.41	12.82
2021–22	92.25	3.82	23.63(25.62%)	4.61	19.02
योग	**718.11**	**23.36**	**104.71**	**35.91**	**68.8**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की प्रशासनिक प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा ने विज्ञापन, सम्मेलन, कार्यशालाएं, बैठकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे, मोबाइल कैम्प और योजना कार्यान्वयन व्यय आदि जैसे खर्चों को शामिल करने के

[1] प्रारंभ में मंडल द्वारा ₹ 209.10 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। तथापि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ₹ 11 करोड़ की अव्ययित निधि की वापसी के कारण वर्ष 2017–18 के लिए वास्तविक व्यय ₹ 198.10 करोड़ था।

[2] प्रारंभ में मंडल द्वारा वर्ष 2020–21 में ₹ 108.10 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वस्थ योजना के अंतर्गत ₹ 21.60 करोड़ की अव्ययित निधि की वापसी के कारण, वर्ष 2020–21 के लिए वास्तविक व्यय ₹ 86.50 करोड़ था।

बाद प्रशासनिक व्यय की गणना की। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई क्योंकि यह वर्ष 2017–18 के दौरान 8.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में कुल व्यय का 25.62 प्रतिशत हो गई। कुल व्यय के पांच प्रतिशत की सीमा अर्थात् ₹ 35.91 करोड़ के विपरीत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान ₹ 104.71 करोड़ व्यय किए जो कि निर्धारित सीमा से ₹ 68.80 करोड़ अधिक है।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि 2014 से ऑनलाइन पंजीयन और उपकर संग्रह के कारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने प्रोग्रामर के वेतन और सर्वर रखरखाव शुल्क पर, पंजीयन और योजना क्रियान्वयन मद से व्यय किया। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत बजट और अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम हितग्राहियो और उनके आश्रितों को लाभान्वित करने के लिए विज्ञापन मद से होर्डिंग्स, एसएमएस, शिविर, बैठकों और कार्यशालाओं जैसे जागरूकता कार्यक्रमों पर भी व्यय किया गया था।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त व्यय प्रशासनिक प्रकृति के है और अधिनियम के अनुसार पाँच प्रतिशत की सीमा के भीतर प्रतिबंधित होना चाहिए।

4.3.2 निर्माण श्रमिकों के कल्याण से अलग अन्य उद्देश्यों पर ₹ 35.04 करोड़ का अनियमित व्यय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जेड–20011/08/2014–बीएल दिनांक 07.06.2016 के अनुसार, राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निधि से स्कूल, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र, लेबर शेड सह नाइट शेल्टर, प्रतिक्षा कक्ष हॉस्टल आदि के निर्माण पर या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवार के कल्याण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई राशि व्यय नहीं करेगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निधि से विज्ञापनों पर कोई राशि व्यय नहीं करेगा। इस प्रकार व्यय की गई धनराशि को तत्काल प्रभाव से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निधि में वापस किया जाना चाहिए।

4.3.2.1 अनियमित विज्ञापन व्यय राशि ₹ 25.17 करोड़

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2017–22 के दौरान एलईडी स्क्रीन, होर्डिंग इत्यादि प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापन मद के अंतर्गत ₹ 50.99 करोड़ का बजट प्रावधान किया था और ₹ 25.17 करोड़ का व्यय किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों[3] कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर कोष के लिए एकत्र की गई राशि से विज्ञापन देना उचित नहीं था एवं विज्ञापन पर खर्च की गई राशि वापस की जानी चाहिए, का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन पर खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसकी भरपाई अभी भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष में की जानी शेष थी।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में मॉडल कल्याण योजनाओं के निर्देशों का अनुपालन करते हुए योजनाओं का संचालन किया जाता था। इस प्रकार, निर्माण श्रमिकों का अधिकतम पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन पर व्यय किया गया।

---

[3] जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जेड–20011/08/2014–बीएल दिनांक 07 जून 2016 में उद्धृत किया गया है

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि जागरूकता कार्यक्रमों का प्रसार जमीनी स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाना चाहिए जैसे कि सरकारी भवनों में जागरूकता संदेशों को चित्रित करना, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को नुक्कड़ नाटक आयोजित करने में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि उपयुक्त उद्देश्य के लिए खर्च नहीं की गई थी और इसकी भरपाई अभी तक नहीं की गई थी।

4.3.2.2 कार्यालय भवन की खरीद एवं उसके नवीनीकरण पर अनियमित व्यय ₹ 8.66 करोड़

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने नया रायपुर विकास प्राधिकरण से 15,316.89 वर्गफुट क्षेत्र का कार्यालय भवन खरीदा (फरवरी 2018) एवं ₹ 6.23 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने आंतरिक साज–सज्जा कार्य और कार्यालय कक्षों के निर्माण के लिए ₹ 3.75 करोड़ का अंतिम दावे प्रस्तुत किए, जिसके विरुद्ध भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने ₹ 2.43 करोड़ (जून और दिसंबर 2018) का भुगतान किया। संपूर्ण व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से किया गया था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (21 अगस्त 2015 और 04 सितंबर 2015) के अनुरूप नहीं था। इसलिए, कार्यालय भवन तथा आंतरिक साज–सज्जा पर किया गया कुल व्यय ₹ 8.66 करोड़[4] अनियमित था और इसकी भरपाई अभी तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में नहीं की गई थी।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि कार्यालय भवन खरीदने के प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले आयोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में बिना किसी निर्देश का उल्लंघन किए अनुमोदित किया गया था। शासन ने आश्वासन दिया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भविष्य में निर्देशों का पालन करेगा।

शासन का उत्तर कि कार्यालय भवन की खरीद को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च की गई थी। हालांकि, इसकी भरपाई अभी भी की जानी शेष थी।

4.3.2.3 वाहन एवं कम्प्यूटर पर अनियमित व्यय राशि ₹ 1.21 करोड़

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मंडल ने माननीय श्रम मंत्री, मंडल के अध्यक्ष और विभागीय अधिकारियों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्य करने हेतु सात विभिन्न प्रकार के वाहनों (एसयूवी, एमपीवी और कारों सहित) की खरीद पर और साथ ही श्रमिकों के मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए तीन वाहनों (टाटा सूमो) की खरीदी पर वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान ₹ 67.59 लाख का पूंजीगत व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कंप्यूटर की खरीदी पर ₹ 36.85 लाख का व्यय किया था।

इसके अतिरिक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान, विभाग ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से ₹ 16.84 लाख की लागत से

[4] ₹ 6,23,39,642 + ₹ 2,43,00,000 = ₹ 8,66,39,642

12 लैपटॉप खरीदे और अपने घरों से आधिकारिक कार्यों को निपटाने के लिए सचिव को एक लैपटॉप, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष को दो लैपटॉप तथा श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नौ लैपटॉप वितरित किए जैसा कि **परिशिष्ट–4.1** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से किया गया ₹ 121.28 लाख[5] का व्यय केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से नहीं था जो कि अनियमित था और इसे अभी भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में वापस किया जाना शेष था।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि शासन की मंजूरी के बाद आधिकारिक कार्य करने के लिए वाहन और कंप्यूटर खरीदे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों या उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से खर्च नहीं की गई थी और इसकी भरपाई अभी तक नहीं की गई थी।

4.3.3 राज्य योजना के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि को अवरुद्ध करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि शुरुआत में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से ₹ 21.60 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो कि एक राज्य योजना है जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित किए गए थे, के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में राज्य शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था। हालांकि, मार्च 2023 में इसे बिना व्यय किए वापस कर दिया गया था।

4.4 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में ₹ 1.91 करोड़ की भरपाई नहीं किया जाना तथा प्रतीक्षा केंद्रों के निर्माण पर राशि ₹ 70 लाख का निष्फल व्यय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अधिसूचना (नवंबर 2012) के अनुसार, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान करने और श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आठ जिलों में मजदूरों के लिए नौ प्रतीक्षालयों के निर्माण के लिए ₹ 1.91 करोड़ का व्यय किया जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जेड–20011/08/2014–बीएल दिनांक 07 जून 2016 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने योजना को बंद कर दिया।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए खर्च की गई धनराशि को तत्काल प्रभाव से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार निधि में वापस किया जाना भी आवश्यक था। हालांकि, यह पाया गया कि ₹ 1.91 करोड़ का पूरा व्यय सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक (जनवरी 2023) वापस नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नौ में से पांच प्रतीक्षालयों का उपयोग श्रम विभाग द्वारा किया गया था (तीन मजदूरों के लिए भोजन वितरण केंद्र के रूप में, एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के लिए और एक कार्यालय उद्देश्य के लिए)। हालांकि, तीन का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा था, एक लोक निर्माण विभाग द्वारा, दो

[5] व्यय ₹ 67.59 लाख (वाहन) + ₹ 36.85 लाख (कम्प्यूटर) + ₹ 16.84 लाख (लैपटॉप)

आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा और एक प्रतीक्षालय उपयोग में नहीं था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने इन चार प्रतीक्षालयों पर ₹ 70 लाख का व्यय किया था जो निष्फल हो गया क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल उनका उपयोग करने में असमर्थ था।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि श्रम विभाग के जिला कार्यालयों को उपयोग नहीं किये जा रहे भवनों में श्रम संसाधन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की भरपाई अभी तक नहीं की गई थी।

4.5 उपकर का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बजाय चेक से किया जाना

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पत्र (अक्टूबर 2016) के अनुसार, उपकर भुगतान के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/ई–बैंकिंग/ऑनलाइन चालान विकल्प के माध्यम से उपकर भुगतान की सुविधा श्रम विभाग की वेबसाइट पर शुरू की थी (नवंबर 2014)। यह बिना किसी देरी के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के बैंक खाते में उपकर राशि के सुचारू हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए था।

हालांकि, अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बजाय 2,121 चेक के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा ₹ 64.37 करोड़ का उपकर भुगतान किया गया था।

इसी अवधि के दौरान, उपकर राशि ₹ 386.80 करोड़ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए और ₹ 454.30 करोड़ नकद/चेक द्वारा सीधे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के बचत बैंक खाते (एसबीआई खाता संख्या 30663238889) में जमा की गई। मंडल को ₹ 518.66 करोड़ का उपकर भुगतान श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से न करने के कारण आवश्यक विवरण जैसे कि प्रतिष्ठान का नाम, नियोजित श्रमिकों की संख्या, निर्माण की अनुमानित लागत, निर्माण का क्षेत्र, उपकर की अनुमानित राशि, लंबित उपकर की राशि आदि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की प्रणाली में दर्ज नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल विभिन्न प्रतिष्ठानों से प्राप्त भुगतान को उनसे देय राशि के विरुद्ध मिलान करने की स्थिति में नहीं था।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि दिसंबर 2022 से उपकर पूरी तरह से विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि आंकड़ों के मिलान के लिए विभिन्न विभागों से पत्राचार किया जा रहा है।

4.6 आयकर के लिए ₹ 4.45 करोड़ का परिहार्य भुगतान

आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत, केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लाभ के लिए कोई गतिविधि जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है, के विनियमन या प्रशासन के उद्देश्य से गठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्राप्त होने वाली किसी भी निर्दिष्ट आय को केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाने से छूट दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए पात्र इकाई को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने उक्त छूट का लाभ उठाने के लिए इकाई द्वारा

क्षेत्रीय आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दाखिल करने की मानक प्रक्रिया निर्धारित की (जून 2013)।

छत्तीसगढ शासन ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अभिलेखों की जांच से पता चला कि मंडल ने वर्ष 2014 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत छूट देने के लिए आयकर आयुक्त को आवेदन किया था और परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिए छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए धारा 10(46) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई। हालांकि, पिछली अवधि अर्थात आकलन वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन नहीं किया था। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012–13 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 (आकलन से बचने वाली आय) के अंतर्गत नोटिस जारी किया और ₹ 2.89 करोड़ के दंडात्मक ब्याज सहित ₹ 4.45 करोड़ का कर लगाया (दिसंबर 2019)। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने ₹ 4.45 करोड़ के कर का भुगतान (दिसंबर 2019) किया था। इस प्रकार, आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त करने में मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.45 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2024) कि प्रारंभ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत छूट मांगने के लिए कोई निर्देश नहीं था।

4.7 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वार्षिक लेखाओं को तैयार न करना और प्रस्तुत न करना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 26 में कहा गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो निर्धारित किया गया है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 27 यह निर्धारित करता है कि मंडल के लेखाओं का वार्षिक लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा और ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में होने वाला कोई भी व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को देय होगा। मंडल निर्धारित तिथि से पहले राज्य सरकार को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ अपने लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को उनके प्राप्त होने के बाद शीघ्र–अतिशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष रखेगा।

वर्ष 2017–18 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वार्षिक लेखे वर्ष 2019–20 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार और लेखापरीक्षा किए गए थे जबकि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अपने वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ के कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए, वार्षिक लेखाओं को राज्य विधानसभा के समक्ष भी नहीं रखा गया था।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अपने वार्षिक लेखाओं को राज्य सरकार को भी प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, शासन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कामकाज/प्रदर्शन और इसकी वित्तीय स्थिति की उचित निगरानी करने की स्थिति में नहीं था।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि श्रम विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आय और व्यय, प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं और लाभान्वित निर्माण श्रमिकों की संख्या जैसे महत्वपूर्ण विवरण श्रम विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं जो राज्य विधानसभा में रखा गया है। उपर्युक्त विवरण त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ महालेखाकार कार्यालय को भी भेजा जाता है। वर्तमान में वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन ने भविष्य में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

राज्य शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बार–बार अनुस्मारक के बावजूद प्रमाणीकरण के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ को अपना वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।

4.8 निष्कर्ष

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, ₹ 1,317.09 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरूद्ध केवल ₹ 662.15 करोड़ खर्च किए गए जिसके परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास ₹ 631.58 करोड़ की कल्याण निधि जमा हुई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मंडल का योजना व्यय ₹ 192 करोड़ से घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया जबकि प्रशासनिक व्यय ₹ 18 करोड़ से बढ़कर ₹ 24 करोड़ हो गया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पांच प्रतिशत की सीमा के विरूद्ध ₹ 68.80 करोड़ अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि को विशेष रूप से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से विज्ञापन, कार्यालय भवन, वाहन, कंप्यूटर और अर्द्ध–निर्मित प्रतीक्षालयों की खरीद पर अनियमित व्यय किया गया था जिसकी भरपाई अभी तक नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आयकर के लिए ₹ 4.45 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया था और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाणीकरण हेतु वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

4.9 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का कवरेज बढ़ाना चाहिए और निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए ही निधि व्यय करना चाहिए।
- मंडल को अपने प्रशासनिक व्यय को पांच प्रतिशत की सीमा के भीतर प्रतिबंधित करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को विज्ञापन, कार्यालय भवन आदि मदों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार निधि से किए गए व्यय की भरपाई के लिए त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

- राज्य सरकार को मंडल को अपने वार्षिक लेखे तैयार करने और राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देना चाहिए।

अध्याय–5

संसाधन

अध्याय 5: संसाधन

5.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपकर का संग्रह

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 3, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे दर जो निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो और न एक प्रतिशत से कम हो, पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करती है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना (सितंबर 1996) के माध्यम से अधिसूचित किया कि नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर काटा जाएगा। यह धारा सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर उपकर की कटौती या भवन निर्माण अनुमति की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह को सक्षम बनाती है। वर्ष 2017–22 के दौरान एकत्रित उपकर का विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संग्रहित उपकर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चयनित जिले					अन्य जिला	कुल उपकर
	बिलासपुर	बस्तर	जांजगीर–चांपा	रायगढ़	रायपुर		
2017–18	8.98	3.34	3.87	8.03	42.56	111.61	178.39
2018–19	7.62	8.55	3.11	8.09	36.89	135.45	199.71
2019–20	5.78	3.04	0.79	7.37	28.94	117.70	163.62
2020–21	6.64	11.20	0.47	7.94	23.06	123.03	172.34
2021–22	8.41	11.62	2.29	5.28	25.33	138.14	191.07
योग	**37.43**	**37.75**	**10.53**	**36.71**	**156.78**	**625.93**	**905.13**

(स्रोत: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपकर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उपकर का निर्धारण न करने के कारण निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी गई :

5.1.1 उपकर की कटौती नही किया जाना राशि ₹ 2.82 करोड़

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 32 कार्य संभागों में से एक, पांच नगर निगमों में से दो और पांच नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालयों में से एक, वर्ष 2017–22 के लिए कुल ₹ 2.82 करोड़ का उपकर काटने में विफल रहा। प्रत्येक विभाग द्वारा उपकर की कटौती न करने का कारण नीचे दिया गया है:

- कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना, रायगढ़ ठेकेदार के एस्केलेशन देयकों से ₹ 1.16 लाख का उपकर काटने में विफल रहा।
- कार्यालय आयुक्त, रायपुर नगर निगम, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कॉलोनाइजरों[1] द्वारा की गई आंतरिक विकास गतिविधियों (जैसे सड़क, पानी की टंकी, गार्ड रूम, बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण) की लागत से ₹ 269.28 लाख का उपकर काटने में विफल रहा था।

[1] कॉलोनाइज़र: कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कॉलोनी की स्थापना का कार्य करना चाहता है।

- कार्यालय आयुक्त, जगदलपुर नगर निगम, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कॉलोनाइजरों द्वारा की गई आंतरिक विकास गतिविधियों (जैसे सड़क, पानी की टंकी, गार्ड रूम, बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण) की लागत से ₹ 10.11 लाख का उपकर काटने में विफल रहा था।
- कार्यालय सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, जांजगीर–चांपा, 11 व्यक्तियों से भवन अनुज्ञा से पहले निर्माण की अनुमानित लागत से ₹ 1.22 लाख की उपकर की कटौती करने में विफल रहा था।

शासन ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2024) कि इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया है कि यदि विभाग लंबित उपकर जमा करने में विफल रहते हैं तो उपकर निर्धारण प्राधिकरण को राजस्व संग्रह की तरह उपकर वसूलने का निर्देश दिया जाएगा।

5.1.2 उपकर का हस्तांतरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरणों और उपकर संग्रहकर्ताओं द्वारा नियम 4 के अंतर्गत एकत्रित उपकर की राशि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरित की जाएगी। एकत्रित उपकर राशि को उसके संग्रह के तीस दिनों के भीतर मंडल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

5.1.2 (अ) उपकर राशि ₹ 3.38 करोड़ का हस्तांतरण न होना

नमूना जांच की गई इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 32 निर्माण संभागों में से एक और पांच नगर निगमों में से दो में, अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि के मध्य एकत्र की गयी उपकर राशि ₹ 3.38 करोड़ को मार्च 2022 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के हस्तांतरण नहीं किये जाने का विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	राशि (₹ में)
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग 1, रायगढ़	16,89,639
2	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़	2,30,47,876
3	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर, बस्तर	90,14,462
	योग	**3,37,51,977**

शासन ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2024) कि लंबित उपकर की वसूली के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम ने लंबित उपकर जमा कर दिया है। शासन ने यह भी बताया कि उपकर निर्धारण अधिकारी को राजस्व वसूली की तरह ही लंबित उपकर वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

5.1.2 (ब) उपकर का विलंबित हस्तांतरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 8 में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई नियोजक धारा 3 के अंतर्गत देय उपकर की किसी राशि का भुगतान निर्धारण आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसा

नियोजक, भुगतान देय होने की तिथि से ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान होने तक की अवधि में शामिल प्रत्येक माह या महीने के भाग के लिए उस राशि पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 32 निर्माण संभागों में से आठ और पांच नगर निगमों में से एक में ₹ 8.09 करोड़ उपकर के संग्रहण और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उसके हस्तांतरण में 1 से लेकर 120 माह की देरी हुई जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरण में विलंब का विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	राशि ₹ में	विलंब महीनों में
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क संभाग, रायगढ़	17,03,392	25 से 35 माह
2	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, सिविल संभाग, रायगढ़	15,99,072	1 से 7 माह
3	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायगढ़	63,75,103	1 से 96 माह
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर	1,92,41,046	1 से 90 माह
5	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, सिविल संभाग, रायपुर	8,68,473	14 से 62 माह
6	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिक, सिविल संभाग, बिलासपुर	8,75,569	1 से 8 माह
7	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग 1, जगदलपुर	8,67,144	71 से 120 माह
8	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, जगदलपुर, बस्तर	3,66,874	34 से 46 माह
9	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर	4,89,87,414	32 से 44 माह
	योग	**8,08,84,087**	

इसके अतिरिक्त, कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर ने वर्ष 2021– 22 के दौरान भवन अनुज्ञा देकर ₹ 4.91 करोड़ का अग्रिम उपकर वसूल किया। लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर कार्यालय ने 32 से 44 माह के विलम्ब से ₹ 4.90 करोड़ का लंबित उपकर जमा किया (मार्च 2024)।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है।

5.1.2 (स) विभिन्न निकायों/विभागों से प्राप्त चेकों के विरूद्ध ₹ 3.98 करोड़ की राशि प्राप्त न होना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 3.98 करोड़ की उपकर राशि से संबंधित कुल 326 चेक कालातीत हो गए थे और 2019 से बैंक में भुनाए नहीं जा सके, जिसके कारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को ₹ 3.98 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों से नए चेक प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.2 निष्कर्ष

राज्य में उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 2.82 करोड़ के उपकर की कटौती नहीं किये जाने, ₹ 3.38 करोड़ के उपकर के हस्तांतरण नहीं किये जाने के मामले पाये गये। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों अर्थात् निर्माण विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 1 माह से 120 माह तक के विलंब से ₹ 8.09 करोड़ के उपकर का हस्तांतरण किया गया।

5.3 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को उपकर के समय पर संग्रहण और हस्तांतरण के लिए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए क्योंकि इसकी देरी से मण्डल को ब्याज की हानि होती है।
- उपकर का संग्रह न करने, संग्रह में देरी और हस्तांतरण न करने के लिए जुर्माना लगाने का उपयुक्त प्रावधान मौजूदा नियमों में किया जाना चाहिए।

अध्याय–6

कल्याणकारी उपायों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग

अध्याय 6: कल्याणकारी उपायों पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 राज्य शासन द्वारा एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के गठन और एक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष के गठन का प्रावधान करता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (सितंबर 2008) राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत वर्णित लाभ प्रदान करने और कल्याणकारी उपाय करने के उद्देश्य से किया गया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को धारा 24 (2) (ए) के अंतर्गत अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए भी अधिदिष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 277 में विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका लाभ मण्डल द्वारा उन हितग्राहियों तक पहुँचाया जा सकता है जिन्होंने निर्धारित शर्तों के अधीन एक न्यूनतम अवधि के लिए कोष में अंशदान दिया था।

6.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

जैसा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 279 में निर्धारित है, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ योजनाओं को अधिसूचित कर सकता है और नियम 277 में निर्दिष्ट लाभों और लाभों के समूह के संबंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ द्वारा 31 मार्च 2022 तक 25 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनमें से निम्नलिखित 10 योजनाओं को लेखापरीक्षा में नमूना जांच के लिए चुना गया था।

- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता)
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
- मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना
- नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना
- मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
- मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
- दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

वर्ष 2017–22 के दौरान, नमूना जांच की गई योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता का भुगतान **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1: आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	2017–22		
	आवंटन	व्यय	हितग्राही
अधिकतम वित्तीय सहायता वाली योजनाएं			
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना	156.00	104.10	54,917
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	125.00	89.84	17,287
मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	130.45	91.39	47,104
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	151.27	99.15	5,04,273
मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना	235.84	73.37	2,21,012
मध्यम वित्तीय सहायता वाली योजनाएं			
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	148.00	8.77	2,04,843
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना	21.00	2.30	7,01,355
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	48.00	13.49	1,29,725
शून्य/न्यूनतम हितग्राही वाली योजनाएं			
मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना	3.50	0.93	0
दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	6.00	0.43	52
योग	**1,025.06**	**483.77**	**18,80,568**

*नोट: वर्ष 2017–22 के दौरान सभी 25 योजनाओं का आवंटन और व्यय **परिशिष्ट 6.1** में वर्णित है।*

6.1.1 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) का क्रियान्वयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत 18 से 50 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से सितंबर 2012 में मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना शुरू की गई थी। योजना में मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न व्यवसायों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एसी रेफ्रिजरेशन, बढ़ई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, सुरक्षा गार्ड और तकनीकी विभाग द्वारा चिन्हित अन्य सभी व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण की पूरी लागत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन की जानी थी तथा प्रशिक्षुओं को मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

योजना के नियम एवं शर्तें थी: –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण पोर्टल के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित किए जाएंगे।
- पंजीकृत श्रमिकों के प्रशिक्षण और भत्ते की लागत (अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित विसंगतियां देखी:

➢ प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को जारी किए गए कार्य आदेशों के अनुसार, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना के तहत पंजीकृत सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षण के सफल समापन एवं 80 प्रतिशत और उससे अधिक की उपस्थिति पर ही विशिष्ट व्यवसाय के अंतर्गत स्वीकार्य मानदेय के पात्र थे। मानदेय का भुगतान संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन था। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण के सफल समापन एवं 80 प्रतिशत और उससे अधिक की उपस्थिति के बाद ही परीक्षा शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षु ₹ 800 प्राप्त करने के पात्र है। परीक्षा आयोजित करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को राशि का भुगतान किया जाना था।

नमूना जांच किए गए पांच जिलों के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017–21 के दौरान जिला श्रम कार्यालय, रायगढ़ ने निर्धारित 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले 250 हितग्राहियों को ₹ 0.26 करोड़ मानदेय का भुगतान किया। योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि कम उपस्थिति के कारण निर्माण श्रमिकों के आवश्यक कौशल को उन्नत नहीं किया जा सका।

पांच में से दो जिलों (जांजगीर–चांपा और रायगढ़) में यह भी देखा गया कि जिला श्रम कार्यालयों ने वर्ष 2017–21 के दौरान कम उपस्थिति (80 प्रतिशत से कम) वाले प्रशिक्षुओं के विरूद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था जैसा कि **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को परीक्षा शुल्क के भुगतान का विवरण

जिला	80 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले हितग्राहियों की संख्या जिनके विरुद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया	भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क (₹ करोड़ में)
जांजगीर–चांपा	321	0.02
रायगढ़	441	0.04
योग	**762**	**0.06**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

हालांकि, अन्य तीन जिलों (रायपुर, बस्तर और बिलासपुर) ने प्रशिक्षण और उपस्थिति के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ठीक से लागू किए गए थे या नहीं। इस प्रकार, विभाग ने चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी नहीं की और न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना परीक्षा शुल्क जारी कर दिया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2024) कि वेतन हानि के विरुद्ध मुआवजे के प्रावधान के अनुपालन में कम उपस्थिति के बाद भी हितग्राहियों को मानदेय का भुगतान किया गया है। परीक्षा शुल्क के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदन स्वीकार करने वाले निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही जांजगीर–चांपा जिले के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को अपात्र हितग्राहियों के लिए प्राप्त परीक्षा शुल्क को वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने के कारण निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन का योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

6.1.2 मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना

मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना 2010 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रति वर्ष 10,000 साइकिलें वितरित की जानी हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अधिसूचना (नवंबर 2012) के माध्यम से अधिकतम पात्रता आयु को 40 वर्ष से संशोधित कर 35 वर्ष कर दिया था। जनवरी 2018 में आयोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत दिसंबर 2015 से पहले पंजीकृत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी पुरुष निर्माण श्रमिकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।

- **मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत अपात्र निर्माण श्रमिकों को लाभ दिया गया**

अभिलेखों की जांच में पता चला है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 1,88,880 हितग्राहियों को लाभ दिया था, इनमें से कुल 2,772 श्रमिक योजना के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके थे और इसलिए योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं थे जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में दर्शाया गया है।

इसी तरह, पांच चयनित जिलों में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2017–22 के दौरान 58,597 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया था जिनमें से 933 हितग्राही योजना की पात्रता के लिए निर्धारित आयु को पार कर चुके थे। अपात्र हितग्राहियों का जिलेवार विवरण **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: अपात्र हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

जिला	हितग्राहियों की कुल संख्या	अपात्र हितग्राहियों की कुल संख्या
रायपुर	16,963	35
बस्तर	5,952	14
बिलासपुर	14,790	363
जांजगीर–चांपा	10,316	355
रायगढ़	10,576	166
योग	**58,597**	**933**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

यह स्पष्ट है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आवेदनों की उचित जांच नहीं की जिसके कारण अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग द्वारा 1.78 लाख साइकिलों का असमान वितरण भी देखा जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान वितरित कुल साइकिलों का 94 प्रतिशत है।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि वितरण के दौरान विकास यात्रा का आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे जिनके निपटान के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इस प्रकार, त्रुटिवश श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। हालांकि, आयु की पुनः जांच की जा रही है और यदि कोई अपात्र पाया जाता है तो वसूली की जाएगी।

6.1.3 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अक्टूबर 2010 में राज्य में विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति वर्ष 10,000 टूलकिट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ और श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग को प्रति वर्ष 10,000 किट अर्थात् वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 50,000 औजार किट खरीदने की आवश्यकता थी। हालांकि, विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 3.79 करोड़ की लागत से 1,34,808 किट (84,808 अतिरिक्त) खरीदे थे।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि खरीदे गए 1,34,808 किटों में से विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान केवल 1.28 लाख किट वितरित किए है जैसा कि **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: किटों के वितरण का विवरण

व्यवसाय किट	खरीदी गई किटों की संख्या	वितरित की गई किटों की संख्या	वितरित नहीं की गई किटों की संख्या	दर (₹ प्रति इकाई में)	राशि (₹ लाख में)
राजमिस्त्री	28,267	25,702	2,313	1,296	29.98
बढ़ई	3,489	2,952	537	2,326	12.49
प्लम्बर	3,367	3,266	100	4,375	4.37
पेंटर	1,979	1,338	641	379	2.42
इलेक्ट्रीशियन	5,698	5,255	443	1,197	5.30
रेजा–कुली	92,008	89,938	2,070	889	18.40
योग	**1,34,808**	**1,28,451**	**6,104**		**72.98**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

शेष 6,104 किट वर्ष 2018–19 से वितरित नहीं किए गए। इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक किटों की खरीद के कारण ₹ 72.98 लाख की लागत वाले 6,104 टूलकिट चार वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़े हैं। जंग लगने/अन्य कारणों से टूल किट आइटम में स्थायी क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 6.1: रायगढ़ जिले में अवितरित औज़ार किट

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (अप्रैल 2024)।

6.1.4 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए "निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना" शुरू की (मई 2015) जिसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ मिला दिया गया। योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आवेदन और सहमति प्राप्त होने के बाद भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हितग्राही के बैंक खाते में देय बीमा प्रीमियम जमा करेगा। बाद में हितग्राही के बैंक खाते से इस राशि की स्वतः कटौती की जाकर बीमा कंपनी को हस्तांतरित की जाएगी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग ने वर्ष 2017–18 से 2018–19 के दौरान निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 61,103 हितग्राहियों को बीमा प्रीमियम हस्तांतरित किया था। हालांकि, 4 अगस्त 2022 को आयोजित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार योजना को 9 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- **हितग्राहियों का उनकी मृत्यु के बाद बीमा कराया गया**

अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित पांच जिलों में से दो जिलों जांजगीर–चांपा और बिलासपुर में वर्ष 2017–18 के दौरान बीमा के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे और 13 हितग्राहियों को उनकी मृत्यु की तिथि के बाद विभाग द्वारा वार्षिक प्रीमियम का हस्तांतरण किया गया (**परिशिष्ट 6.3**)। यह मंडल और विभाग द्वारा आवेदनों के सत्यापन में कमी को दर्शाता है। दस्तावेजों के उचित सत्यापन के लिए तंत्र के अभाव में हितग्राहियों का उनकी मृत्यु के बाद भी बीमा किया गया था।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि इन हितग्राहियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन प्रीमियम भुगतान के समर्थन में दस्तावेजों की कमी और हितग्राहियों की मृत्यु की पुष्टि के अभाव में इन हितग्राहियों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की आपत्ति प्रीमियम भुगतान से संबंधित था। हालांकि, शासन ने हितग्राहियों की मृत्यु के बाद दावा निपटान के बारे में उत्तर दिया था।

- **हितग्राहियों को बीमा कवरेज से वंचित करना**

निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के नियम स उप नियम iii (3) में निर्धारित अनुसार, मृत्यु की स्थिति में मृतक के नामित व्यक्ति को ₹ 2 लाख का मृत्यु लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उप–खंड– द में मृतक पंजीकृत श्रमिक के नामित व्यक्ति को जिला नोडल एजेंसी (जिला श्रम अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त) के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रारूप–एक में मृत्यु दावा प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिकृत बैंक के साथ दावे के निपटान की आगे की औपचारिकताएं पूरी करेगा।

पांच चयनित जिलों में से तीन जिलों (बिलासपुर, जांजगीर–चांपा और बस्तर) में नमूना जांच किये गये प्रकरणों की जांच से पता चला कि 21 हितग्राहियों जिनके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम हस्तांतरित किया गया था, उनकी मृत्यु बीमा अवधि के दौरान हुई थी लेकिन किसी भी नामित व्यक्ति को ₹ 2 लाख के बीमा कवरेज का लाभ नहीं दिया गया था (**परिशिष्ट 6.4**)। इस प्रकार, योजना के दायरे में आने वाली हितग्राहियों के निपटान नहीं किये गये सभी प्रकरणों की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निगरानी की कमी थी और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बीमित हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप हितग्राही बीमा कवरेज से वंचित हो गए।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि हितग्राही की मृत्यु होने पर मृतक श्रमिक के नामित व्यक्ति द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान था। हालांकि, मृतक श्रमिक के केवल एक नामित व्यक्ति ने दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम विभाग को योजना के अंतर्गत बीमित मृत हितग्राहियों के नामित व्यक्तियों को बीमा दावे के भुगतान के लिए बिना दावा के रह गये सभी प्रकरणों की निगरानी एवं उनके निपटान के लिए बीमा कंपनी के साथ एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

6.1.5 शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना पूर्ववर्ती पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना एक सार्वजनिक स्थान चावडी पर इकट्ठा होने वाले निर्माण श्रमिकों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी।

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत भोजन पकाने और निर्माण श्रमिकों को गर्म पका हुआ भोजन वितरित करने के काम के लिए खाद्य आपूर्ति एजेंसी टचस्टोन फाउंडेशन, भिलाई के साथ 01 जनवरी 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। प्रत्येक प्लेट की कीमत ₹ 18.90 तय की गई थी जिसमें से पांच रुपया निर्माण श्रमिकों को और शेष राशि ₹ 13.90 भवन एवं अन्य

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जाना था। समझौता ज्ञापन के खण्ड 7.8 गुणवत्ता और स्वच्छता तथा अनुलग्नक 3 के अनुसार, टचस्टोन फाउंडेशन, भिलाई, बैठक की जगह पर श्रमिकों को अच्छा, स्वच्छ और मानक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। विभाग को विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए भोजन के स्तर की जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना है। वह वितरित या परोसे गए भोजन की संख्या के लिए टचस्टोन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए रजिस्टर पर पावती देगा और हस्ताक्षर करेगा।

चयनित पांच जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना तीन जिलों (रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़) में लागू किया जा रहा था। जनवरी 2018 से मार्च 2022 के दौरान टचस्टोन फाउंडेशन ने योजना के अंतर्गत पंजीकृत 5.33 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया था जैसा कि **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का विवरण

वर्ष	योजना के अंतर्गत लाभान्वित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की संख्या			कुल
	रायपुर	बिलासपुर	रायगढ़	
2017–18	14,221	11,471	9,056	60,209
2018–19	34,470	32,894	1,43,754	2,20,270
2019–20	26,998	44,979	51,794	1,01,081
2020–21	28,322	24,039	3,527	88,441
2021–22	33,092	64,728	9,437	1,31,401
योग	**1,37,103**	**1,78,111**	**2,17,568**	**5,32,782**

(स्रोतः श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 5.33 लाख श्रमिकों को टचस्टोन फाउंडेशन द्वारा गर्म भोजन उपलब्ध कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने श्रमिकों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई नामित अधिकारी नियुक्त नहीं किया था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक/कल्याण निरीक्षक समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यदि कोई कमी है तो उसकी सूचना देते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निरीक्षण और भोजन परीक्षण से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ।

6.1.6 मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना (संजीवनी एम्बुलेंस योजना)

राज्य में "108 एम्बुलेंस योजना" के शुभारंभ के बाद संजीवनी एम्बुलेंस की कम उपयोगिता के कारण संजीवनी एम्बुलेंस योजना का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 5 सितंबर 2012 से "मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना" शुरू की गई थी। मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और

विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निर्माण स्थल और चावड़ी में शिविर/सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

➢ दूरस्थ स्थानों पर शिविरों का आयोजन न करना

चयनित जिलों द्वारा आयोजित शिविरों से संबंधित डेटाबेस की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने जिलों के दूरस्थ स्थानों पर शिविरों का आयोजन नहीं किया।

रायगढ़:– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान रायगढ़ जिले में कुल 42 शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में 7,954 श्रमिक (कुल पंजीयन का 14.93 प्रतिशत) पंजीकृत हुए। कुल 42 में से 32 शिविर पूर्व में सरवानी और दक्षिण में जामगांव में आयोजित किए गए। हालांकि, अंतिम स्थित दूरस्थ कस्बों/गांवों (गौरडीह और विजयनगर) तक मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के माध्यम से नहीं पहुंचा गया था।

बिलासपुर:– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बिलासपुर जिले में कुल 213 शिविर आयोजित किए गए और जिले में कुल 94,232 पंजीयन में से 3,924 श्रमिकों (चार प्रतिशत) को इन शिविरों में पंजीकृत किया गया। कुल 213 में से 33 शिविर मस्तूरी में आयोजित किए गए थे जबकि अंतिम स्थित गांवों/कस्बों (नवाटोला और खमरिया) को मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से नहीं छुआ गया था।

जांजगीर–चांपा:– वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान जांजगीर–चांपा जिले में कुल 68 शिविर आयोजित किए गए और जिले में कुल 1,17,284 पंजीयन में से 14,426 श्रमिकों (कुल पंजीयन का 12.29 प्रतिशत) को मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से इन शिविरों में पंजीकृत किया गया।

बस्तर:– बस्तर जिले में वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक कुल 114 शिविर आयोजित किए गए तथा जिले में कुल 16,585 पंजीयन में से केवल 5,985 श्रमिकों (36.08 प्रतिशत) का ही मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के माध्यम से इन शिविरों में पंजीयन किया गया।

चित्र 6.2: जागरूकता शिविरों के आयोजन का सचित्र प्रस्तुतीकरण

रायगढ़

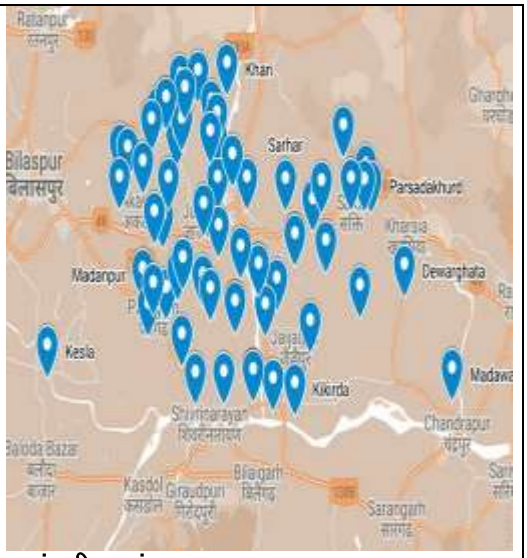

जांजगीर–चांपा

बिलासपुर

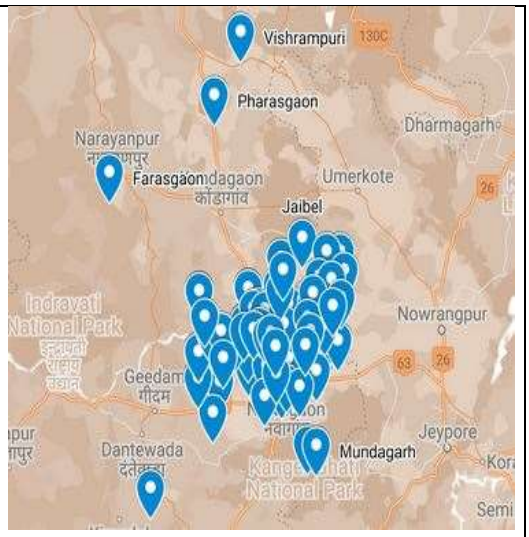

बस्तर

पूर्ववर्ती चार्टों में मानचित्रों से स्पष्ट है कि विभाग ने केवल जिला श्रम अधिकारी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही शिविर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। जिले के दूरदराज के स्थानों पर रहने वाले निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते हैं और योजना के इच्छित लाभ से वंचित रह गए हैं।

शासन ने एक आदेश को संदर्भित किया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया था कि पीओएल की सीमा 65 लीटर प्रति माह और निर्धारित पात्रता के अनुसार वाहनों के रखरखाव के लिए ₹ 30,000 तय की गई थी। इसके अतिरिक्त, आवंटित निधि के अनुसार, श्रमिक केंद्रित क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन/योजना पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण/निर्माण श्रमिकों के योजना आवेदन के साथ–साथ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पर खर्च किया गया।

शासन को जिले के आकार और यात्रा आवश्यकता के आधार पर पीओएल/रखरखाव की आवश्यकता का आकलन करने की जरूरत है।

6.1.7 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के विलंबित हस्तांतरण

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2011 में अधिनियमित किया गया था जो राज्य शासन, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों या एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर नागरिकों को कुछ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है और सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में आने वाली योजनाओं का लाभ 30 दिनों के भीतर हितग्राहियों तक पहुंचाना आवश्यक था। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया था।

नमूना जांच वाले जिलों में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दोनों योजनाओं (मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना) में वर्ष 2017–22 के दौरान 6,658 में से कुल 2,759 हितग्राहियों को विलंब से योजना का लाभ प्राप्त हुआ जैसा कि **तालिका 6.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.6: हितग्राहियों को किए गए विलंबित भुगतान का विवरण

योजना	हितग्राहियों की संख्या	विलंबित भुगतान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा		
				01 से 15 दिन	16 दिन से एक माह	एक माह से अधिक
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	2,440	600	2.77	197	112	291
मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	4,218	2,159	4.32	153	111	1,895
योग	**6,658**	**2,759**	**7.09**	**350**	**223**	**2,186**

(स्रोत: श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के लाभ के वितरण में अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 30 दिनों की सीमा से बाहर एक दिन से लेकर एक महीने से अधिक की देरी हुई।

इंगित किए जाने पर शासन ने देरी के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया (अप्रैल 2024) जैसे कि ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, 2018–19 में राज्य और आम चुनावों के दौरान आचार संहिता, कोविड–19 महामारी के कारण भौतिक सत्यापन के दौरान नामित व्यक्तियों की अनुपलब्धता। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए श्रम निरीक्षकों के नामित व्यक्तियों के घर बार–बार जाने से और देरी हुई।

6.2 हितग्राही सर्वेक्षण का परिणाम

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा पात्र निर्माण श्रमिकों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। हितग्राहियों की पहचान एवं पंजीयन, उनके आवेदनों की जांच तथा हितग्राहियों की शिकायतों के संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के काम का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक चयनित जिले से 100 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए चयनित जिलों की नमूना जांच के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित चयनित योजनाओं के बारे में जागरूकता के संबंध में हितग्राही सर्वेक्षण किया गया। हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम

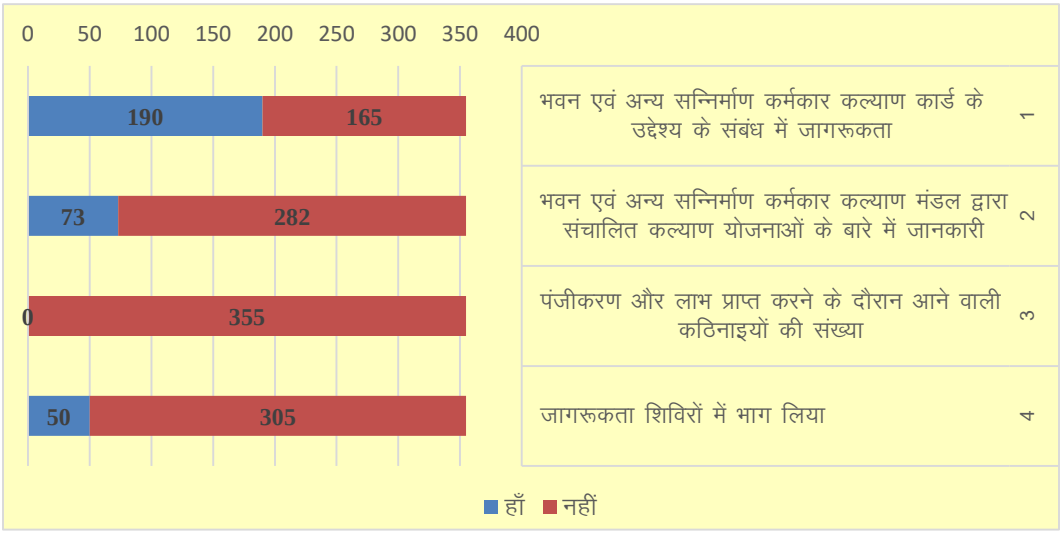

(स्रोतः हितग्राही सर्वेक्षण)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण किए गए 86 प्रतिशत हितग्राहियों ने जागरूकता शिविरों में भाग नहीं लिया और 79 प्रतिशत हितग्राहियों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं था, जबकि 46 प्रतिशत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा जारी कल्याण कार्ड के उद्देश्य और महत्व के बारे में भी पता नहीं था। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आईईसी गतिविधियों पर ₹ 28.62 करोड़ खर्च किया है। यह दर्शाता है कि मंडल द्वारा की गई आईईसी गतिविधियां प्रभावी नहीं थीं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों तक पहुंचने के लिए न केवल कवरेज और कार्यप्रणाली को बढ़ाने की आवश्यकता है बल्कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की आवश्यकता है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग ने समय और श्रमिकों के अप्रासंगिक खर्चों को बचाने के लिए लोक सेवा केंद्रों (च्वाइस सेंटर) से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आगे, यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से डिजिटीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत श्रमिकों के आवेदन प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए थे ताकि उन्हें बिना विलंब के लाभान्वित किया जा सके।

6.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने श्रम कल्याण मण्डल/विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी। प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति, अधिक खरीद के मामले और टूल किट के अवितरण के बावजूद कौशल उन्नयन योजना के अतर्गत हितग्राहियों को मानदेय और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को परीक्षा शुल्क के अनियमित भुगतान के मामले पाये गये। गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था न होने के कारण निर्माण श्रमिकों को दिये गये भोजन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन न किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हितग्राहियों को सहायता/लाभ के विलंबित भुगतान के मुद्दे भी देखे गए हैं।

हितग्राहियों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी थी जो हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान परिलक्षित हुई है।

6.4 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ/सहायता पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार को निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और मृत्यु एवं विकलांगता के मामलों में मण्डल को स्वतः पहल करनी चाहिए और आवेदन की आवश्यकता के बिना उचित सत्यापन के बाद लाभ देना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को दूरदराज के क्षेत्रों में भी श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के मामले में जिला श्रम प्राधिकारियों (श्रम उप निरीक्षक/ निरीक्षक, श्रम अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त) की जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए।

अध्याय–7

शासन और मानव संसाधन प्रबंधन

अध्याय 7: शासन और मानव संसाधन प्रबंधन

7.1 राज्य सलाहकार समिति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 4 और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार, राज्य सरकार, अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करेगी। राज्य सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष और 15 सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष तक या राज्य की विधान सभा का सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा। राज्य सलाहकार समिति का हर तीन साल में पुनर्गठन किया जाना है और नियमानुसार इसकी छः माह में कम से कम एक बार बैठक होनी है।

राज्य सलाहकार समिति का गठन अप्रैल 2013 में अर्थात् छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 की अधिसूचना के पांच वर्ष पश्चात् किया गया था एवं आज तक (जनवरी 2023) इसकी केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थी। तीसरी और आखिरी बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। राज्य सलाहकार समिति की अनुशंसाओं (दिसंबर 2017) और शासन/मण्डल द्वारा क्रियान्वयन/की गई कार्यवाही का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: राज्य सलाहकार समिति की प्रमुख अनुशंसाएं (दिसंबर 2017) एवं उनका क्रियान्वयन

राज्य सलाहकार समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं	की गई कार्यवाही
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में नियमित कर्मचारी नियुक्त करना।	आज तक किसी नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है।
श्रमिक को ईएसआईसी की सुविधा दी जाए और अंशदान का भुगतान मण्डल द्वारा किया जाए। वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उपकर का 20 प्रतिशत ईएसआईसी अंशदान के लिए उपयोग किया जा सकता है।	अभी तक ऐसी कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई थी।
उपकर निधि का उपयोग राज्य सरकार के किसी अन्य व्यय के लिए नहीं किया जाएगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकर निधि का उपयोग श्रम विभाग के आयुक्त कार्यालय और जिला कार्यालयों में नियमित काम में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रम विभाग को भुगतान करने और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अन्य खर्चों के लिए किया गया था।
प्रशासनिक व्यय कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक व्यय पर ₹ 104.71 करोड़ की राशि खर्च की गई जो वर्ष 2017–22 के दौरान कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक थी।
ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए जो पांच करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, मण्डल ऐसे निर्माण कार्यों में पंजीकृत मजदूरों को संलग्न करने के लिए प्रतिष्ठानों के प्रमुख नियोक्ता को नोटिस जारी करके सूचित करेगा।	पांच करोड़ रुपये से अधिक की निर्माण परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसी परियोजनाओं में काम करने वाले सभी मजदूर अपंजीकृत थे।

तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति न होना एवं दिसंबर 2017 से बैठकों का न होना शासन स्तर पर प्रभावी प्रशासन की कमी को दर्शाता है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बताया (मई 2023) कि समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया गया है एवं राज्य सरकार ने अपने उत्तर में राज्य सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बाद आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है (अप्रैल 2024)।

7.2 मंडल की बैठकों में कमी

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का मुख्य उत्तरदायित्व वार्षिक बजट तैयार करना और जमा करना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि का संग्रह और प्रबंधन, लेखाओं का उचित रखरखाव और कल्याण योजनाओं का व्यवस्थापन आदि है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 की धारा 256 के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की बैठक सामान्यतः तीन माह में एक बार बैठक (अर्थात् वर्ष में चार बैठकें) आयोजित करेगा। यह देखा गया है कि वर्ष 2017–22 के दौरान 20 बैठकों के विरुद्ध केवल 13 बैठकें[1] आयोजित की गई थी। आगे यह देखा गया कि वर्ष 2017–18 में मण्डल ने सभी चार बैठकें आयोजित की थी जबकि वर्ष 2019–20 और 2020–21 में केवल एक ही बैठक आयोजित की गई थी।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि बैठक में कमी कोविड–19 और राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण थी।

7.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक संविदा कर्मियों की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 की धारा 263 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार की मंजूरी से मण्डल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए जितने आवश्यक समझे उतने क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 की धारा 265 के उप खंड (2) के अनुसार, मण्डल ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्य के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझे बशर्ते कि मण्डल में कोई भी पद तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि उसके सृजन को सबसे पहले राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिल गयी है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 2010 से 2013 की अवधि के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के लिए 86 पदों को स्वीकृति दी थी। सचिव और लेखापाल के दो पद श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने थे। उपरोक्त स्वीकृत पदों के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए 147 पदों को भी स्वीकृति दी थी।

स्वीकृति अनुसार कर्मचारियों और पद पर कार्यरत कर्मियों की विस्तृत स्थिति **तालिका 7.2** में दर्शायी गयी है।

[1] वर्ष 2017–18 में पांच बैठकें, वर्ष 2018–19 में तीन बैठकें, वर्ष 2019–20 में एक बैठक, वर्ष 2020–21 में एक बैठक और वर्ष 2021–22 में तीन बैठकें।

तालिका 7.2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा नियुक्त कर्मियों का विवरण

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पद पर कार्यरत कर्मी		स्वीकृत संख्या के विरूद्ध आधिक्य/(कमी)
			नियमित (प्रतिनियुक्ति पर)	आउटसोर्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= [(5)–(3)]
अ	**स्वीकृत सेटअप**				
1	सचिव	01	01	00	00
2	लेखा अधिकारी	01	01	00	00
3	योजना अधिकारी	01	**निरंक**	01	00
4	आशुलिपिक	01		02	01
5	स्टेनो टाइपिस्ट	02		00	(02)
6	सहायक ग्रेड–3	10		08	(02)
7	चालक	03		44	41
8	चपरासी	12		31	19
9	चौकीदार	07		00	(07)
10	सहायक ग्रेड–2	06		01	(05)
11	निज सचिव	01		00	(01)
12	कंप्यूटर ऑपरेटर (डीईओ)	08		165	157
13	श्रम कल्याण निरीक्षक	27		00	(27)
14	कल्याण अधिकारी	06		00	(06)
योग (अ)		**86**	**02**	**252**	**168**
ब	**वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत संविदा कर्मचारियों का सेटअप**				
1	कंप्यूटर ऑपरेटर (डीईओ)	56	**निरंक**	59	03
2	श्रम कल्याण निरीक्षक	32		55	23
3	कल्याण अधिकारी	28		35	07
4	लेखापाल	30		29	(01)
5	उप सचिव	1		00	(01)
6	एनआईसी प्रोग्रामर	0		05	05
योग (ब)		**147**	**00**	**183**	**36**
महायोग (अ + ब)		**233**	**02**	**435**	**204**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोई नियमित कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने एक सेवा प्रदाता ''मैसर्स कॉल

मी सर्विसेज'' के माध्यम से कुल स्वीकृत 233 पदों के विरूद्ध 435 संविदा कर्मचारियों को काम पर रखा।

- कुल मिलाकर, **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल ने स्वीकृत संख्या से 204 (88 प्रतिशत) अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया।

इस प्रकार, छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल के लिए श्रम विभाग द्वारा 147 पदों की स्वीकृति तथा **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करना अनियमित था।

आगे की जांच से पता चला कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान सचिव, **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल ने श्रम विभाग के आयुक्त कार्यालय और जिला कार्यालयों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** से संबंधित कार्य हेतु पारिश्रमिक के भुगतान के लिए तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अन्य खर्चों के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय को ₹ 5.54 करोड़ प्रदान किया।

आयुक्त कार्यालय से प्राप्त ड्यूटी सूची से यह पाया गया कि आयुक्त कार्यालय में नियुक्त 41 कर्मचारी वास्तव में आयुक्त कार्यालय, रायपुर के विभिन्न अनुभागों/शाखाओं में कार्यालय से संबंधित नियमित कार्य जैसे स्टोर, कानूनी सेल, समन्वय अनुभाग, शिकायत कक्ष आदि कार्य कर रहे थे।

शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल के भर्ती नियमों के अभाव के कारण मण्डल की बैठक में और श्रम विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् पंजीयन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की गई थी। **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार एकत्रित उपकर की आय को उपकर के संग्रहण लागत जो एकत्रित राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, की कटौती करने के बाद हस्तांतरित करेगी। आगे कहा गया कि यदि **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल ने राज्य के 28 जिलों में जिला कार्यालय स्थापित किया होता तो मण्डल को हर वर्ष ₹ 8.11 करोड़ व्यय करना पड़ता। चूंकि उपकर संग्रहण और योजनाओं का क्रियान्वयन श्रम आयुक्त कार्यालय और उसके जिला कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है, **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल श्रम आयुक्त कार्यालय को पंजीयन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तदनुसार धन प्रदान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल ने 233 की स्वीकृत संख्या से अधिक 204 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त, उपकर कटौती/संग्रह करने वाले छत्तीसगढ़ के किसी भी प्राधिकरण जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकाय आदि ने अपने द्वारा एकत्रित उपकर की आय से संग्रहण लागत की कटौती नहीं की। चूंकि श्रम विभाग के सभी खर्च राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजट के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अन्य खर्चों के लिए **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार** कल्याण मण्डल द्वारा श्रम विभाग को धनराशि प्रदान किया जाना अनियमित था।

7.4 निष्कर्ष

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की बैठकें आयोजित करने में कमी तथा राज्य सलाहकार समिति की प्रमुख अनुशंसाओं को लागू न करना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिदिष्ट उद्देश्य के अनुसरण में उचित पर्यवेक्षण की कमी को इंगित करता है। स्वीकृत संख्या के विरुद्ध मण्डल द्वारा किसी भी नियमित कर्मचारी/अधिकारी की भर्ती नहीं की गई थी। मण्डल ने 233 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 435 आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया था। इसके अलावा श्रम आयुक्त कार्यालय में नियुक्त 41 आउटसोर्स कर्मचारी वास्तव में श्रम आयुक्त कार्यालय के नियमित कार्य कर रहे थे।

7.5 अनुशंसाएं

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है और विभाग को पिछली राज्य सलाहकार समिति की अनुशंसाओं को लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- मण्डल को स्वीकृत संख्या के विरुद्ध नियमित कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाना चाहिए।

अध्याय–8

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निगरानी तंत्र

अध्याय 8: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निगरानी तंत्र

8.1 प्रतिष्ठानों एवं मजदूरों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र न होना तथा सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने का निरीक्षण नहीं किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 43 (धारा 44 के साथ पढ़ें) सुरक्षा उपायों और श्रमिकों को प्रदान किए गए सुविधाओं की जांच करने के लिए निरीक्षकों को किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर जहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, का निरीक्षण करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 का अध्याय VI, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियोक्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करता है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 7 निर्धारित करती है कि निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को कार्य आरंभ होने के 60 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान के पंजीयन के लिए पंजीकरण अधिकारी को आवेदन करना होगा। वहीं धारा 10 में प्रावधान है कि किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिसने अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत नहीं किया है, 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रतिष्ठान में भवन निर्माण श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 का नियम 23 प्रतिष्ठानों के पंजीयन के प्रणाली को निर्दिष्ट करता है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 और 13 में हितग्राहियों के रूप में भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और उन्हें पहचान पत्र जारी करने की परिकल्पना की गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ''व्यवसाय करने में आसानी'' नीति के अनुपालन में श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने निरीक्षण और निरीक्षण के बाद की प्रक्रियाओं के अनुवर्ती कार्यवाही के लिए प्रक्रिया जारी की (नवंबर 2016)। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामित निरीक्षकों को वेब पोर्टल पर अपलोड की गई सूची के अनुसार निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक को निर्धारित प्रतिष्ठान का निरीक्षण करना चाहिए।

वर्ष 2017–22 की अवधि के लिए चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित कमियाँ सामने आईः

- सितंबर 2022 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के साथ पंजीकृत 2,830 प्रतिष्ठानों में से किसी भी पंजीकृत प्रतिष्ठान को यादृच्छिक निरीक्षण के लिए नहीं चुना गया था और वर्ष 2017–22 के दौरान किसी भी पंजीकृत प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं किया गया था।
- हालांकि, निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए विभाग में निरीक्षण के अतिरिक्त कोई तंत्र मौजूद नहीं है। किसी अन्य निगरानी तंत्र के अभाव में प्रतिष्ठान के साथ–साथ निर्माण स्थल पर काम करने वाले सभी भवन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। आगे, निर्माण स्थल पर कल्याणकारी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- केवल वे प्रतिष्ठान जिन्होंने स्व–पंजीयन शुरू किया था, उन्हें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के साथ पंजीकृत किया गया था। जिन प्रतिष्ठानों ने अपने

निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं दी, वे पंजीकृत नहीं पाए गए। सितंबर 2022 तक मण्डल के साथ केवल 2,830 प्रतिष्ठान पंजीकृत थे जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान ही नमूना जांच किए गए पांच जिलों में सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा 6,734[1] भवन निर्माण अनुमति/कार्य आदेश जारी किए गए थे।

इस प्रकार, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों पर नगर पालिका/नगर एवं ग्राम निवेश तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा श्रम उपकर के संग्रह/कटौती के बावजूद निर्माण गतिविधि करने वाले सभी प्रतिष्ठानों और उनमें लगे निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। निरीक्षण नहीं करने के कारण श्रम विभाग द्वारा सुरक्षा एवं अन्य स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करना भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, प्रतिष्ठानों के पंजीयन और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए श्रम आयुक्त को पत्र जारी किए गए है। शासन ने आगे उत्तर दिया कि पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन, सीएससी, मोबाइल ऐप और श्रम संसाधन केंद्र जहां श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते है, जैसे विभिन्न माध्यमों से श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा विभाग द्वारा शुरू की गई है।

8.2 संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

पांच चयनित जिलों में 50 नमूना जांच किए गए प्रतिष्ठानों के अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पायी गईः

1. पचास पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रतिष्ठानों में विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे कुल 2,224 मजदूर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत नहीं पाए गए;
2. पचास में से 35 प्रतिष्ठानों में निर्माण स्थल पर श्रमिकों की पंजी संधारित नहीं की गयी थी जैसा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आवश्यक था;
3. पचास में से 36 प्रतिष्ठानों के निर्माण स्थलों पर पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एक प्रतिष्ठान (जिला–बस्तर) में निर्माण स्थल पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी;
4. रायपुर, जांजगीर–चांपा और रायगढ़ के 30 में से 17 प्रतिष्ठानों में, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए निर्माण स्थलों पर कोई आवास सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। हालांकि, एक परियोजना (कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायगढ़ का कार्यालय) में मुक्तिधाम प्रतीक्षालय में मजदूरों के रहने की व्यवस्था की गई थी जैसा कि **फोटोग्राफ क्रमांक 1** से स्पष्ट है।

[1] वर्ष 2021–22 के दौरान चयनित पांच जिलों (बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, रायगढ़ एवं रायपुर) में 26 चयनित निर्माण संभागों एवं पांच चयनित स्थानीय निकायों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति/कार्य आदेश की संख्या।

फोटोग्राफ क्रमांक 1: मुक्तिधाम प्रतीक्षालय में मजदूरों के रहने की व्यवस्था को दर्शाते हुए

5. किसी भी प्रतिष्ठान ने निर्माण स्थल पर बाल श्रम पर रोक, न्यूनतम मजदूरी की दरें और ओवरटाइम मजदूरी आदि के संबंध में जानकारी प्रदर्शित नहीं की थी।

6. पचास में से 41 प्रतिष्ठानों ने निर्धारित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया और श्रमिकों को सुरक्षा गियर जैसे हेलमेट, बूट और सुरक्षा बेल्ट आदि प्रदान नहीं किए गए थे जैसा कि आगे **फोटोग्राफ क्रमांक 2** और **3** में दर्शाया गया है। निर्माण एजेंसियों के साथ समझौते में सुरक्षा उपायों के प्रावधान के बावजूद कुछ सरकारी कार्यों में भी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया गया। हालांकि, कुछ निजी बिल्डर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे जैसा कि **फोटोग्राफ क्रमांक 4** और **5** में दर्शाया गया है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान	
कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सं.क्र–03, नवा रायपुर (फोटोग्राफ क्र. 02)	**कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर सं.क्र–01 (फोटोग्राफ क्र. 03)**
स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठान	
श्री साई कंस्ट्रक्शन (जेएसपीएल), रायगढ़ (फोटोग्राफ क्र. 04)	**अविनाश वुड्स, जगदलपुर, बस्तर (फोटोग्राफ क्र. 05)**

7. पचास में से 40 प्रतिष्ठानों में फायर टेंडर की व्यवस्था नहीं पायी गयी।

8. कुल 28 प्रतिष्ठानों में निर्माण स्थलों पर प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं थे।
9. किसी भी प्रतिष्ठान ने निर्माण स्थलों पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए श्रम आयुक्त के साथ पत्राचार किया गया है।

8.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 7 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि को इंगित करते हुए निर्माण की अंतिम लागत पर निर्धारण आदेश देगा। आगे, छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचित किया (मार्च 2010) कि सहायक श्रम आयुक्त और श्रम अधिकारी को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और पुनः छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचित किया (मई 2018) कि कार्यपालन अभियंता, निर्माण विभाग, नगर निगम या नगर पालिका परिषद के संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनआरडीए/आरडीए/हाउसिंग बोर्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आदि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर संग्रहकर्ता एवं निर्धारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान उपकर का निर्धारण नहीं किया गया था और प्रासंगिक निर्धारण आदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए जा सके। उपकर का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा उपकर के अल्प भुगतान की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त, 32 कार्य निष्पादन विभागों, पांच नगर निगमों और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के पांच कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपकर का निर्धारण नामित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के निर्धारण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए श्रम आयुक्त को पत्र जारी किए गए हैं।

8.4 सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन नहीं किया जाना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (मार्च 2018) में अधिनियम के बेहतर और अधिक प्रभावी और सार्थक क्रियान्वयन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (बिंदु क्रमांक–75) के अनुसार राज्य सरकारों और प्रत्येक राज्य के कल्याण मंडलों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए सीएजी के दिशानिर्देशों के अनुरूप सामाजिक अंकेक्षण करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा ऐसा कोई सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया

गया था। श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

राज्य शासन ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2024) कि श्रम विभाग ने सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है।

8.5 निष्कर्ष

प्रतिष्ठान अपनी इच्छा एवं प्रयास से पंजीकृत हुए थे। नगर पालिका/नगर एवं ग्राम निवेश तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों पर श्रम उपकर के संग्रह के बावजूद निर्माण गतिविधियों में लगे सभी प्रतिष्ठानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। निरीक्षण/वैकल्पिक निगरानी तंत्र के अभाव के कारण विभाग नियोक्ता द्वारा सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया था।

8.6 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए कि नियोक्ताओं द्वारा निर्माण स्थलों पर निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।
- मौजूदा प्रावधानों के बेहतर और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

य. कुमार

रायपुर
दिनांकः 9 मार्च 2025

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

संजय

नई दिल्ली
दिनांकः 17 मार्च 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.2 में संदर्भित)

(i) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित जिलों का विवरण

जिलों के चयन के लिए पद्धति	जिले
कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम लाभ वाले जिलों का 7.5 प्रतिशत	रायपुर, जांजगीर–चांपा
उपकर निधि में अधिकतम योगदान वाले जिलों का 7.5 प्रतिशत	रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर

(ii) नमूना पद्धति के अनुसार चयनित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

कल्याणकारी योजना चयन के लिए पद्धति	कल्याणकारी योजनाएं
अधिकतम वित्तीय सहायता वाली पाँच योजनाएँ	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना
	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
	मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना
	मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना
	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
मध्यम मात्रा में वित्तीय सहायता वाली तीन योजनाएं	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (अभिसरित)
	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना
	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
शून्य हितग्राही वाली दो योजनाएं, यदि लागू हो	मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना
	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1.1 में संदर्भित)

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान नमूना जांच किए गए पांच जिलों में चयनित इकाइयों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या का विवरण

स. क्र.	इकाई का नाम	विवरण	प्रतिष्ठानों की संख्या		
			पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल निर्माण कार्य
अ.	**32 निर्माण विभागों में प्रतिष्ठानों (निर्माण कार्यों) की कुल संख्या जहां ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादित किया गया था।**				
1.	लोक निर्माण विभाग (संभाग–1), बिलासपुर	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	16	420	436
2.	लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), बिलासपुर		00	133	133
3.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, बिलासपुर		00	217	217
4.	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बिलासपुर		00	97	97
5.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं (सिविल संभाग), बिलासपुर		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं (यांत्रिकी संभाग), बिलासपुर		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
7.	जल संसाधन विभाग (खारंग संभाग), बिलासपुर		04	137	141
8.	जल संसाधन विभाग (कोटा संभाग), बिलासपुर		00	74	74
9.	लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), रायगढ़		00	113	113
10.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क संभाग), रायगढ़		01	686	687
11.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं संभाग, रायगढ़		00	1170	1170
12.	जल संसाधन विभाग संभाग, रायगढ़		00	44	44
13.	जल संसाधन विभाग, (सर्वेक्षण एवं निर्माण संभाग), खरसिया, रायगढ़		00	08	08
14.	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रायगढ़		00	13	13
15.	लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), बस्तर		00	139	139
16.	लोक निर्माण विभाग, (उत्तर बस्तर संभाग– 1), बस्तर		00	561	561

17.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं (वि/यां) संभाग, बस्तर		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
18.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं (सिविल संभाग), बस्तर		00	257	257
19.	जल संसाधन विभाग (टी.डी.पी. पी. संभाग), बस्तर		00	95	95
20.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, बस्तर		00	345	345
21.	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बस्तर		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
22.	लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), रायपुर	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	00	173	173
23.	लोक निर्माण विभाग (संभाग–3), रायपुर		01	469	470
24.	जल संसाधन विभाग (डीसनेट), तिल्दा, रायपुर		00	77	77
25.	जल संसाधन विभाग (जल प्रबंधन संभाग–1), रायपुर		00	145	145
26.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं संभाग, रायपुर		03	1777	1780
27.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं (वि/यां) संभाग, रायपुर		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
28.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क संभाग), चाम्पा	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	02	489	491
29.	जल संसाधन विभाग हसदेव नहर (जल प्रबंधन संभाग), जांजगीर		00	87	87
30.	जल संसाधन विभाग, (मिनी माता बांगो संभाग–6), सक्ती, जांजगीर–चाम्पा		00	46	46
31.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं, चाम्पा		लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जांजगीर		00	60	60
	योग (अ)		**27**	**7832**	**7859**
ब.	**पांच नगर निगमों में अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की कुल संख्या जहां ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादित किया गया था।**				
1.	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	03	लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये	03

2.	नगर पालिक निगम, रायगढ़	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	00	598	598
3.	नगर पालिक निगम, बस्तर	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	01	868	869
4.	नगर पालिक निगम, रायपुर	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	12	3062	3074
5.	नगर पालिका, जांजगीर–नैला	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य	लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
	योग (ब)		**16**	**4528**	**4544**
स.	**पांच नगर निगमों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या जहां भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी।**				
1.	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	4037	4037
2.	नगर पालिक निगम, रायगढ़	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	1189	1189
3.	नगर पालिक निगम, बस्तर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	1522	1522
4.	नगर पालिक निगम, रायपुर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	6866	6866
5.	नगर पालिका, जांजगीर–नैला	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	688	688
	योग (स)		**00**	**14,302**	**14,302**
द	**पांच नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालयों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या जहां भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी।**				
1.	नगर एवं ग्राम निवेश, बिलासपुर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	लेखापरीक्षित इकाई द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
2.	नगर एवं ग्राम निवेश, रायगढ़	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	103	103
3.	नगर एवं ग्राम निवेश, बस्तर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	12	12
4.	नगर एवं ग्राम निवेश, रायपुर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	2183	2183
5.	नगर एवं ग्राम निवेश, जांजगीर	भवन अनुज्ञा स्वीकृत	00	240	240
	योग (द)		**00**	**2538**	**2538**
	महायोग (अ+ब+स+द)		**43**	**29,200**	**29,243**

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.2.2 में संदर्भित)

मृत्यु के बाद पंजीकृत हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	वर्ष	श्रमिक का नाम	पंजीयन की तिथि	मृत्यु की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ में)
1	2017–18	लालजी करियारे	17–04–2017	13–11–2016	30,000
2	2017–18	केजू राम	06–12–2016	22–08–2016	30,000
3	2017–18	सुरेश सतनामी	18–08–2017	23–06–2017	30,000
4	2017–18	रेशमलाल कुर्रे	04–06–2017	18–05–2017	30,000
5	2017–18	रुखमन	15–05–2017	05–05–2017	30,000
6	2017–18	विद्यानंद	16–05–2017	11–05–2017	30,000
7	2018–19	संतोष सूर्यवंशी	10–03–2018	11–06–2017	30,000
8	2018–19	फुलकुंवर सिदार	20–05–2018	10–02–2018	30,000
9	2018–19	लाकेश्वर साहू	29–05–2018	25–04–2018	30,000
10	2018–19	श्याम बाई	25–05–2017	25–04–2017	30,000
11	2018–19	अमरजीत लहरे	15–03–2018	14–02–2018	30,000
12	2019–20	पूनम साहू	23–07–2019	08–07–2019	30,000
13	2019–20	दशमत बाई साहू	01–09–2018	25–08–2018	30,000
योग					**3,90,000**

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.2.2 में संदर्भित)

पंचनामा के आधार पर अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	नाम	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन की तिथि	मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार)	मृत्यु की तिथि (पंचनामा के अनुसार)	अस्वीकृति का कारण
1	बिलासपुर	इश्वरी बाई पटेल	544788496	29–10–2017	12–12–2021	11–10–2021	उल्लेखित कारण यह था कि मृत श्रमिक के पुत्र द्वारा बताई गई मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु की तारीख से पहले की थी।
2	बिलासपुर	केकती बाई	404765976	10–10–2017	28–09–2021	28–08–2021	उल्लेखित कारण यह था कि मृत श्रमिक की पुत्री द्वारा बताई गई मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु की तारीख से पहले की थी।
3	जांजगीर–चाम्पा	भरत सिंह सिदार	541076599	20–12–2018	13–12–2021	23–05–2021	कारण यह बताया गया कि मितानिन द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की गई मृत्यु तिथि प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु तिथि से पहले की थी।
4	जांजगीर–चाम्पा	जानकी बाई	544589080	22–07–2017	28–11–2021	20–05–2021	कारण यह उल्लेखित था कि मितानिन द्वारा बताया गया कि आवेदक की मृत्यु लकवा के कारण हुई थी।
5	जांजगीर–चाम्पा	अनीता कोशले	544571389	05–05–2017	26–11–2021	14–04–2021	कारण यह उल्लेखित था कि मितानिन द्वारा बताया गया कि मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित तारीख से पहले की थी।
6	जांजगीर–चाम्पा	लक्ष्मीन बाई	541322858	26–12–2018	09–12–2021	09–11–2021	कारण यह उल्लेखित था कि मितानिन द्वारा बताया गया कि मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र

							में उल्लेखित तारीख से पहले की थी।
7	जांजगीर–चाम्पा	अमरुदलाल महिलांगे	544471545	01–06–2017	02–11–2021	27–05–2021	कारण यह उल्लेखित था कि मितानिन द्वारा बताया गया कि मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित तारीख से पहले की थी।
8	रायगढ़	कार्तिक मति पटेल	411802912	29–06–2020	15–07–2020	15–06–2020	कारण यह बताया गया कि सरपंच द्वारा बताई गई मृत्यु की तारीख पंजीयन की तारीख से पहले की थी।
9	रायगढ़	आनंद कुमार यादव	412699504	13–07–2020	19–07–2020	26–05–2020	उल्लेखित कारण यह था कि मृत श्रमिक के पुत्र द्वारा बताई गई मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु की तारीख से पहले की थी।
10	रायगढ़	राजकुमारी कोडाकू	415781749	20–04–2021	13–05–2021	13–04–2021	कारण यह बताया गया कि मितानिन द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की गई मृत्यु तिथि प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु तिथि से पहले की थी।
11	रायगढ़	ननकी नोनी	415986752	29–06–2020	14–07–2020	14–06–2020	कारण यह बताया गया कि सरपंच द्वारा अभिलेखों से बताई गई मृत्यु की तारीख प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु की तारीख से पहले की थी।
12	रायगढ़	उमा बाई राठिया	416367512	28–05–2021	29–05–2021	29–03–2021	श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई कि मृत्यु की तारीख मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित तारीख से पहले की थी
13	बिलासपुर	जितेन्द्र कुमार डहरिया	404767206	10–10–2017	25–12–2021	25–12–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार

							सभी अभिलेख सही पाए गए, हालांकि मामले को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।
14	जांजगीर–चाम्पा	दिगम्बर वैष्णव	544962965	21–05–2017	27–01–2022	27–01–2022	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सभी अभिलेख सही पाए गए, हालांकि मामले को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।
15	रायगढ़	नवादाई साहू	411819537	20–04–2021	18–05–2021	18–05–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार अभिलेख सही पाए गए। हालांकि, रिश्तेदार द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मामला खारिज कर दिया गया है।

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.2.2 में संदर्भित)

बिना उचित सत्यापन के किये गये पंजीयन का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	हितग्राही का नाम	पंजीयन आईडी	पंजीयन की तिथि	मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार मृत्यु की तिथि	अस्वीकृति का कारण
1	बिलासपुर	कौशिल्या बाई कश्यप	404557818	11–07–2017	26–09–2021	श्रम निरीक्षक के अनुसार कारण यह था कि हितग्राही निर्माण कार्य करने में सक्षम नहीं था एवं विगत 10 वर्षों से विकलांग था।
2	बिलासपुर	हफिजा	404727413	19–09–2017	28–11–2021	स्थानीय लोगों के अनुसार हफ़ीज़ा रज़ा निर्माण कार्य का काम नहीं कर रहीं थी और गले के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
3	बिलासपुर	पुनिया बाई कुर्मी	401107498	27–02–2018	15–12–2021	श्रम निरीक्षक द्वारा तर्क दिया गया कि आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र के दोनों तरफ को अपलोड नहीं किया गया था।
4	बिलासपुर	शीतला साहू	401233540	21–02–2018	22–12–2021	श्रम निरीक्षक द्वारा तर्क दिया गया कि आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र के दोनों तरफ को अपलोड नहीं किया गया था।
5	बिलासपुर	मोहितराम पात्रे	401619665	05–06–2018	14–12–2021	श्रम निरीक्षक द्वारा कारण बताया गया कि नामित व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था।
6	बिलासपुर	मंत्री लाल	404688083	31–08–2017	12–11–2021	श्रम निरीक्षक द्वारा तर्क दिया गया कि हितग्राही निर्माण कार्य में संलग्न नहीं था एवं पिछले 10 वर्षों से मानसिक विकार से पीड़ित था।
7	बिलासपुर	पूर्णिमा श्रीवास	401043168	22–03–2021	23–03–2021	पिछले 03 माह से कैंसर से पीड़ित थीं
8	जांजगीर–चाम्पा	कीर्तनदास महंत	544785035	26–10–2017	18–01–2022	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार बैंक पासबुक और पंजीकरण प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति के नाम में त्रुटि है।

9	जांजगीर–चाम्पा	परमेश्वरी महंत	541877895	20–02–2019	29–10–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आधार कार्ड और पंजीकरण प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति के नाम में त्रुटि है।
10	जांजगीर–चाम्पा	अश्रिता बाई	544941644	06–01–2018	18–09–2021	श्रम निरीक्षक के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि मितानिन द्वारा संधारित पंजी में हितग्राही की मृत्यु तिथि अंकित नहीं थी।
11	जांजगीर–चाम्पा	भारती राजपुत	541493624	30–09–2018	16–10–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि भारती राजपूत निर्माण श्रमिक के रूप में काम नहीं करती थी।
12	रायगढ़	सुशीला कुर्रे	411007346	15–03–2021	08–04–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि श्रमिक मृत्यु से तीन से चार माह पहले से बीमार था।
13	रायगढ़	घसनीन यादव	411180923	23–03–2021	10–04–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाया गया।
14	रायगढ़	सजना चौहान	411215811	08–03–2021	14–03–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार बताए गए कारण यह थे कि श्रमिक बहुत लंबे समय से बीमार था।
15	रायगढ़	हीरालाल राठिया	411236063	08–03–2021	18–03–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि श्रमिक लंबे समय से बीमार था।
16	रायगढ़	हरिशंकर राठिया	411303857	24–03–2021	22–04–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार श्रमिक किसी भी निर्माण कार्य में संलग्न नहीं था और मानसिक विकार से पीड़ित था।
17	रायगढ़	उत्तरी बाई यादव	411431315	09–08–2020	17–08–2020	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण पंजीयन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों

						में नामित व्यक्ति के नाम में अंतर होना है।
18	रायगढ़	पुनिमती निषाद	411787632	22–06–2020	28–06–2020	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि हितग्राही पिछले 4 माह से बीमार था।
19	रायगढ़	राम कुंवर साहू	412076884	16–11–2021	23–11–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि मितानिन के अनुसार पंजीयन एवं मृत्यु की तिथि एक ही थी।
20	रायगढ़	हिनाशान्ति मलिक	412090732	06–04–2021	28–04–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि हितग्राही एक वर्ष से बीमार था एवं सरपंच के अनुसार कोई भी कार्य करने में असमर्थ था।
21	रायगढ़	सागर नाथ यादव	412600694	11–02–2021	24–02–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण मृत्यु प्रमाण पत्र और पंचनामा में मृत्यु की तारीख में अंतर होना बताया गया।
22	रायगढ़	मिलान्तीन माली	415695775	20–04–2021	13–05–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण यह था कि हितग्राही पिछले पांच–छः माह से बीमार था एवं मितानिन के अनुसार कोई भी कार्य करने में असमर्थ था।
23	रायगढ़	उपासीनबाई चौहान	416160008	23–03–2021	27–03–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी नहीं किया जाना बताया गया।
24	रायगढ़	जानू दास महंत	419949296	15–03–2021	27–03–2021	श्रम निरीक्षक की भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कारण हितग्राही की उम्र अधिक होना बताया गया।

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.2.3 में संदर्भित)

हितग्राहियों की जन्मतिथि में विसंगति दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	पंजीयन संख्या	हितग्राही का नाम	पंजीयन की तिथि	भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक आईडी कार्ड के अनुसार जन्म तिथि	आईडी कार्ड के अनुसार उम्र (वर्ष में)	आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि	आधार कार्ड के अनुसार उम्र (वर्ष में)	आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड के अनुसार उम्र में अंतर (वर्ष में)
हितग्राहियों की आयु पोर्टल में वास्तविक आयु (आधार कार्ड के अनुसार) से अधिक दर्ज की गई है									
1	जांजगीर–चाम्पा	544859045	सरस्वती यादव	28–11–17	01–07–72	45 वर्ष एवं 04 माह	01–01–92	25 वर्ष एवं 10 माह	19 वर्ष एवं 06 माह
2	जांजगीर–चाम्पा	544764699	सीमा बाई यादव	10–02–18	01–07–81	36 वर्ष एवं 07 माह	01–01–85	33 वर्ष एवं 01 माह	03 वर्ष एवं 06 माह
3	जांजगीर–चाम्पा	541235988	श्याम लाल भारद्वाज	12–04–18	01–01–62	56 वर्ष एवं 03 माह	01–01–65	53 वर्ष एवं 03 माह	03 वर्ष
4	बिलासपुर	404713420	पुनिया बाई	13–09–17	01–07–69	48 वर्ष एवं 02 माह	01–01–71	46 वर्ष एवं 07 माह	01 वर्ष एवं 07 माह
5	बिलासपुर	404276256	गायत्री	23–02–17	01–07–77	39 वर्ष एवं 04 माह	01–01–79	38 वर्ष एवं 01 माह	01 वर्ष एवं 03 माह
6	बिलासपुर	404313882	शिवनंदन जायसवाल	08–03–17	01–07–76	40 वर्ष एवं 07 माह	01–01–78	39 वर्ष एवं 02 माह	01 वर्ष एवं 05 माह
7	बिलासपुर	404564794	देवेन्द्र यादव	12–07–17	01–07–86	31 वर्ष	01–01–88	29 वर्ष एवं 06 माह	01 वर्ष एवं 06 माह
8	बिलासपुर	401348726	रुपेश दास मानिकपुरी	27–03–18	01–07–84	33 वर्ष एवं 08 माह	10–10–85	32 वर्ष एवं 05 माह	01 वर्ष एवं 03 माह
9	बिलासपुर	401465168	प्रमोद कुमार कश्यप	31–03–21	01–07–85	35 वर्ष एवं 09 माह	23–09–86	34 वर्ष एवं 06 माह	01 वर्ष एवं 03 माह
10	जांजगीर–चाम्पा	541292430	कार्तिक दास	16–02–19	01–07–79	39 वर्ष एवं 07 माह	15–06–80	38 वर्ष एवं 08 माह	11 माह
11	जांजगीर–चाम्पा	544206121	ममता यादव	28–07–18	01–07–73	45 वर्ष	18–04–74	44 वर्ष एवं 03 माह	09 माह
12	जांजगीर–चाम्पा	542336694	मेला बाई	14–04–18	01–07–67	50 वर्ष एवं 09 माह	03–04–68	50 वर्ष	09 माह
13	जांजगीर–चाम्पा	544364667	शिव कुमारी	04–04–17	01–07–69	47 वर्ष एवं 09 माह	01–01–70	47 वर्ष एवं 03 माह	06 माह

14	जांजगीर–चाम्पा	544468345	फिरतीन बाई देवांगन	31–05–17	01–07–69	47 वर्ष एवं 11 माह	01–01–70	47 वर्ष एवं 05 माह	06 माह
15	बिलासपुर	405350853	नंदकिशोर	02–02–18	01–07–68	49 वर्ष एवं 07 माह	01–01–69	49 वर्ष एवं 01 माह	06 माह
16	बिलासपुर	408703565	सीताराम बंजारे	10–09–20	01–07–75	45 वर्ष एवं 02 माह	10–08–75	45 वर्ष एवं 01 माह	01 माह
पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों की आयु वास्तविक आयु (आधार कार्ड के अनुसार) से कम है									
1	जांजगीर–चाम्पा	541674332	द्वारिका प्रसाद	19–02–19	01–07–75	43 वर्ष एवं 07 माह	06–05–75	43 वर्ष एवं 09 माह	02 माह
2	जांजगीर–चाम्पा	547310347	बैसाखा बाई कश्यप	24–02–19	01–07–79	39 वर्ष एवं 08 माह	01–01–79	40 वर्ष एवं 01 माह	05 माह
3	जांजगीर–चाम्पा	547873616	मालती बाई साहू	21–03–18	01–07–67	50 वर्ष एवं 08 माह	01–01–67	51 वर्ष एवं 02 माह	06 माह
4	बिलासपुर	401814571	सुशीला मानिकपुरी	24–08–18	01–07–73	45 वर्ष एवं 01 माह	01–01–73	45 वर्ष एवं 07 माह	06 माह
5	बिलासपुर	404196632	पूनम	18–01–17	01–07–90	26 वर्ष एवं 06 माह	01–01–90	26 वर्ष	06 माह
6	जांजगीर–चाम्पा	541268826	रामहन प्रसाद कश्यप	18–08–18	01–07–65	53 वर्ष एवं 01 माह	01–01–65	53 वर्ष एवं 07 माह	06 माह
7	बिलासपुर	403971912	व्यासनारायण घृतलहरे	25–07–16	01–07–74	42 वर्ष	01–01–74	42 वर्ष एवं 06 माह	06 माह
8	जांजगीर–चाम्पा	544224664	आनंदराम साहू	03–02–17	01–07–72	44 वर्ष एवं 07 माह	01–01–72	44 वर्ष एवं 01 माह	06 माह
9	जांजगीर–चाम्पा	543936625	गंगोत्री बाई	05–08–18	01–07–80	38 वर्ष	01–01–80	38 वर्ष एवं 07 माह	07 माह
10	बिलासपुर	401733198	नर्मदा प्रसाद	10–08–18	01–07–72	46 वर्ष एवं 01 माह	01–01–72	46 वर्ष एवं 07 माह	06 माह
11	जांजगीर–चाम्पा	541801792	पूर्णिमा	07–08–18	07–07–78	40 वर्ष एवं 01 माह	01–01–78	40 वर्ष एवं 07 माह	06 माह
12	जांजगीर–चाम्पा	541801792	रमेश कुमार	14–05–16	01–07–79	36 वर्ष एवं 10 माह	05–08–78	37 वर्ष एवं 09 माह	11 माह
13	जांजगीर–चाम्पा	543118094	बिरस बाई	20–07–19	01–01–76	43 वर्ष एवं 06 माह	01–01–75	44 वर्ष एवं 06 माह	01 वर्ष
14	बिलासपुर	404816748	कान्ति साहू	08–11–17	01–07–79	38 वर्ष एवं 04 माह	22–05–78	39 वर्ष एवं 05 माह	01 वर्ष एवं 01 माह

15	बिलासपुर	401300627	तिलक कौशिक	07–10–20	01–07–95	25 वर्ष एवं 03 माह	01–01–94	26 वर्ष एवं 09 माह	01 वर्ष एवं 06 माह
16	बिलासपुर	404387701	देवजानी द्रुव	17–04–17	01–07–88	28 वर्ष एवं 09 माह	01–01–87	30 वर्ष एवं 03 माह	01 वर्ष एवं 06 माह
17	बिलासपुर	407070558	सुनीता सूर्यवंशी	24–08–18	01–07–88	30 वर्ष एवं 01 माह	08–05–85	33 वर्ष एवं 03 माह	03 वर्ष एवं 02 माह
18	बिलासपुर	404766278	झुलबाई केवट	10–01–17	01–07–67	49 वर्ष एवं 06 माह	01–01–64	53 वर्ष	03 वर्ष एवं 06 माह
19	जांजगीर–चाम्पा	541022517	देवनारायण साहू	17–04–18	01–07–69	48 वर्ष एवं 09 माह	01–07–65	52 वर्ष एवं 09 माह	04 वर्ष
20	बिलासपुर	404846466	कान्ति अनंत	23–11–17	01–07–77	40 वर्ष एवं 05 माह	08–05–73	44 वर्ष एवं 06 माह	04 वर्ष एवं 01 माह
21	बिलासपुर	404354220	मुन्नी बाई भारद्वाज	29–03–17	01–07–74	42 वर्ष एवं 09 माह	01–01–70	47 वर्ष एवं 02 माह	04 वर्ष एवं 05 माह
22	जांजगीर–चाम्पा	549937500	धनाराम खटकर	27–02–21	01–01–70	51 वर्ष एवं 02 माह	01–01–65	56 वर्ष एवं 02 माह	05 वर्ष
23	बिलासपुर	404503965	चन्द्रिका बाई	20–06–17	01–07–68	49 वर्ष एवं 11 माह	01–01–63	54 वर्ष एवं 06 माह	04 वर्ष एवं 07 माह
24	बिलासपुर	404894305	शिव कुमार यादव	15–12–17	01–07–77	40 वर्ष एवं 06 माह	15–06–71	46 वर्ष एवं 06 माह	06 वर्ष

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.3.2.3 में संदर्भित)

विभागीय अधिकारियों को वितरित लैपटॉप का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

अधिकारियों के पदनाम	मात्रा	इकाई मूल्य (₹ में)	राशि (₹ में)
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	01	एच.पी. ₹ 2,09,997 की दर से	2,09,997
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़	02	एच.पी. ₹ 2,09,997 एवं लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	3,36,397
अपर आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
अपर आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
उप आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
उप आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
उप आयुक्त, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
उप संचालक, श्रम आयुक्त का कार्यालय, छत्तीसगढ़	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
उप संचालक	01	लेनोवो ₹ 1,26,400 की दर से	1,26,400
योग	**12**		**16,83,994**

परिशिष्ट 4.2

(कंडिका 4.4 में संदर्भित)

निर्माणाधीन प्रतीक्षा केन्द्रों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	निर्माणाधीन प्रतीक्षा केन्द्रों का पता	निर्माण की कुल लागत	निर्माण का वर्ष	प्रतीक्षा केन्द्रों का वर्तमान उपयोग
1	रायगढ़	पुराना बस स्टैंड, सारंगढ़	10,00,000	2015	उपयोग में नहीं है
2	राजनांदगांव	अम्बेडकर चौक, सहदेव नगर	39,05,000	2013	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत भोजन वितरण केंद्र के रूप में उपयोग
3	दुर्ग	सिकोल बस्ती, दुर्ग	20,00,000	2013	आंगनवाडी के रूप में उपयोग
4		सुपेला, भिलाई	20,00,000	2013	
5	रायपुर	हनुमान मंदिर के पास, महादेव घाट	20,00,000	2015	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोग
6	जगदलपुर	वन विद्यालय केंद्र, गीदम रोड	10,00,000	2012	टूल किट रखने और कार्यालय के कामकाज के लिए उपयोग किया जाता है
7	कोरबा	जिलाधीश कार्यालय के पास	20,00,000	2014	लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग किया गया
8	बिलासपुर	बृहस्पति बाज़ार के पास	24,78,925	2013	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत भोजन वितरण केंद्र के रूप में उपयोग
9	सूरजपुर	बड़ा तालाब के पास, बड़कापारा	27,09,000	2015	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत भोजन वितरण केंद्र के रूप में उपयोग
	योग		**1,90,92,925**		

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका 6.1 में संदर्भित)

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए योजनाओं में प्राप्ति, व्यय और हितग्राहियों की संख्या दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना	आवंटन	व्यय	हितग्राही
1	मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना	235.84	73.37	2,21,012
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	61.00	14.75	4,382
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	48.00	13.49	1,29,725
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	90.00	20.09	1,06,221
5	नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना	151.27	99.15	5,04,273
6	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	50.00	6.2	14,479
7	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	80.00	36.42	69,435
8	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिक के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना	0.61	0.24	8
9	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	6.00	0.43	52
10	निर्माण श्रमिक ई–रिक्शा सहायता योजना	44.50	6.11	678
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	156.00	104.10	54,917
12	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना	0.25	0.00	15
13	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	42.00	15.00	16,911
14	मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना	3.50	0.93	1,55,739
15	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	2.00	0.15	10,028
16	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना	21.00	2.30	7,01,355
17	श्रम मित्र सहायता योजना	25.00	1.60	2,28,229
18	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	79.00	61.55	5,245
19	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (अभिसरित)	148.00	8.77	2,04,843
20	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4.20	0.67	1,57,854
21	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना	2.00	0.53	154

22	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना	0.10	0.05	48,086
23	मिनीमाता कन्या विवाह सहायता योजना	130.45	91.39	47,104
24	मुख्यमंत्री अटल पेंशन योजना	5.00	0.0	130
25	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि संस्कार एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	46.00	28.29	12,042
	योग	**1431.72**	**585.58**	**14,15,070**

नोटः विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना (**स.क्र. 25**) का नाम बदलकर (जून 2020) मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (**स.क्र. 18**) कर दिया गया है।

परिशिष्ट 6.2

(कंडिका 6.1.2 में संदर्भित)

अपात्र हितग्राहियों की वर्षवार संख्या दर्शाने वाला पत्रक

वर्ष	**रायपुर**		**बस्तर**		**बिलासपुर**		**जांजगीर–चांपा**		**रायगढ़**		**छत्तीसगढ़**	
	कुल	**अपात्र**	**कुल**	**अपात्र**	**कुल**	**अपात्र**	**कुल**	**अपात्र**	**कुल**	**अपात्र**	**कुल**	**अपात्र**
2017–18	3141	0	2	0	427	0	0	0	1	0	5557	0
2018–19	12367	31	5847	14	14363	363	10316	355	10540	166	178280	2728
2019–20	1328	1	103	0	0	0	0	0	35	0	4786	20
2020–21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	21
2021–22	127	3	0	0	0	0	0	0	0	0	127	3
योग	**16963**	**35**	**5952**	**14**	**14790**	**363**	**10316**	**355**	**10576**	**166**	**188880**	**2772**

परिशिष्ट 6.3

(कंडिका 6.1.4 में संदर्भित)

मृत्यु के बाद बीमित हितग्राहियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	वर्ष	जिले का नाम	श्रमिक का नाम	आवेदन की तिथि	पंजीकरण आईडी	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्यान मंडल द्वारा प्रीमियम जारी करने की तिथि	मृत्यु की तिथि
1	2017–18	जांजगीर–चांपा	अशोक कुमार	03–09–2017	541244979	04–09–2017	18–05–2017
2	2018–19	जांजगीर–चांपा	रूखमणी	02–12–2017	542002514	07–12–2017	07–08–2017
3	2017–18	जांजगीर–चांपा	रहीन	16–09–2017	542014801	25–09–2017	28–03–2017
4	2017–18	जांजगीर–चांपा	मनहरण केवट	26–07–2017	542728423	09–08–2017	18–08–2016
5	2018–19	जांजगीर–चांपा	राजकपूर धीरज	03–03–2018	542798931	30–03–2018	10–09–2017
6	2018–19	जांजगीर–चांपा	दिनेश्वरी बाई सूर्यवंशी	20–10–2017	544119626	31–10–2017	12–09–2017
7	2017–18	जांजगीर–चांपा	कीर्तन लाल साहू	20–08–2017	544124039	24–08–2017	27–05–2017
8	2017–18	जांजगीर–चांपा	लक्ष्मी बाई	24–07–2017	544322590	09–08–2017	14–07–2017
9	2017–18	जांजगीर–चांपा	राधेश्याम भारद्वाज	16–01–2018	544406239	28–02–2018	02–05–2017
10	2018–19	जांजगीर–चांपा	अमरनाथ	05–09–2017	544482981	13–09–2017	28–05–2017
11	2017–18	जांजगीर–चांपा	माधुरी बाई	06–01–2018	544511875	28–02–2018	04–12–2017
12	2018–19	जांजगीर–चांपा	चाटबाई	09–04–2018	544662511	10–04–2018	16–02–2018
13	2018–19	जांजगीर–चांपा	संतुकी बाई	11–10–2017	544694521	17–10–2017	18–08–2017

परिशिष्ट 6.4

(कंडिका 6.1.4 में संदर्भित)

हितग्राहियों के बीमा कवरेज से वंचित होने को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	वर्ष	जिले का नाम	आवेदन की तिथि	श्रमिक का नाम	पंजीकरण आईडी	पंजीकरण तिथि	मृत्यु की तिथि
1	2018–19	बिलासपुर	15–02–2019	प्रेमा बाई मरावी	404867767	04–12–2017	18–04–2018
2	2018–19	बिलासपुर	18–05–2018	नरेश सिंह ठाकुर	404900465	19–12–2017	20–04–2018
3	2017–18	बस्तर	26–03–2018	तुला	451478610	12–07–2013	16–01–2018
4	2018–19	बस्तर	27–09–2018	सुबाती कश्यप	452844790	08–05–2016	11–07–2018
5	2018–19	जांजगीर–चांपा	08–10–2018	बलेश्वर	541530816	13–02–2018	10–09–2018
6	2017–18	जांजगीर–चांपा	28–11–2017	पुरतन बाई	542374780	13–07–2015	18–10–2017
7	2017–18	जांजगीर–चांपा	08–01–2018	झूल बाई धीवर	542620655	11–05–2015	27–11–2017
8	2018–19	जांजगीर–चांपा	30–03–2018	रामेश्वरी बाई	543945916	10–05–2013	31–01–2018
9	2018–19	जांजगीर–चांपा	26–10–2018	सीता देवी साहू	544202728	21–01–2017	10–08–2018
10	2017–18	जांजगीर–चांपा	12–12–2017	फिरतिन बाई	544345778	25–03–2017	29–10–2017
11	2018–19	जांजगीर–चांपा	11–05–2018	उमा बाई	544486225	13–05–2016	01–11–2017
12	2018–19	जांजगीर–चांपा	23–04–2018	रविंद्र पाल	544497258	23–05–2016	19–03–2018
13	2018–19	जांजगीर–चांपा	15–07–2018	लीलाधर साहू	544537049	03–07–2017	21–05–2018
14	2017–18	जांजगीर–चांपा	22–03–2018	जागबली टंडन	544589645	17–02–2014	04–10–2017
15	2017–18	जांजगीर–चांपा	08–03–2018	गीता बाई	544598952	26–07–2017	06–02–2018
16	2018–19	जांजगीर–चांपा	03–10–2018	इतवारा बाई	544611662	30–07–2017	31–08–2018
17	2018–19	जांजगीर–चांपा	12–10–2018	कुमारी बाई	544682379	13–05–2017	19–09–2018
18	2017–18	जांजगीर–चांपा	29–11–2017	नरेंद्र कुमार	544696594	04–09–2017	16–10–2017
19	2018–19	जांजगीर–चांपा	30–07–2018	गुरवारी बाई	544731187	06–04–2017	16–05–2018
20	2018–19	जांजगीर–चांपा	05–10–2018	शंकर लाल	544735384	17–05–2017	20–09–2018
21	2017–18	जांजगीर–चांपा	08–02–2018	जितेंद्र कुमार	544778749	23–10–2017	15–12–2017

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en